वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को भारत के राजपत्र असाधारण भाग-III खंड 4 में प्रकाशित दिनांक 01 जून, 2005 भारत सरकार के संकल्प के अंतर्गत यथापेक्षित अपनी सातवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

इस रिपोर्ट में 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि कवर की गई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
नई दिल्ली

आभार

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग केन्द्र और राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र के विभिन्न सरकारी विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, योजना आयोग तथा अनेक शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को उनके सहयोग और आयोग के साथ विचार-विमर्श के दौरान दी गई बहुमूल्य जानकारियों और सुझावों के लिए आभार व्यक्त करता है। यह आयोग के कारगर कार्यकरण में, विशेषकर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करता है।

आयोग के इस कार्य में विशिष्ट पदाधिकारियों, विशेषकर डॉ. टी. सी. ए. अनंत, सीएसआई, श्री एस.के.दास, महानिदेशक (सीएसओ) श्री जे. दाश, महानिदेशक (एनएसएसओ) तथा से प्राप्त सक्रिय सहयोग और सहायता उल्लेखनीय है। आयोग, श्री एम. वी. एस. रंगनाधम, उपमहानिदेशक तथा आयोग सचिवालय के सहायक स्टॉफ, की भूमिका की हार्दिक सराहना करता है।

(श्रीमती सिन्धुश्री खुल्लर)

सचिव, योजना आयोग

पदेन सदस्य

(डॉ. प्रणब सेन)

अध्यक्ष

विषय-सूची

अध्याय सं	विवरण	पृष्ठ सं
	कार्यकारी सार	4-11
1.	प्रस्तावना	12-17
2.	संस्थागत मुद्दे	18-22
	अनुबंध 2.1 : रंगाराजन आयोग रिपोर्ट का सार	23-24
	अनुबंध 2.2 : परामर्शी सेवा स्कंध की मुख्य विशेषताएं	25-26
3.	सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	27-31
4.	एनएसएसओ मामले	32-42
	अनुबंध-4.1एनएसएसओ (एफओडी) में कुछ प्रशासनिक समस्याएं तथा उनके संभावित समाधान	43-46
5.	गुणवत्ता संबंधी मुद्दे	47-59
6.	कार्यान्वयन के लिए मुद्दे	60-70

संक्षिप्ति

एसीएनएएस	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की सलाहकार समिति
एडीजी	अपर महानिदेशक
एएचएस	वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एआईएसईएस	अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण
एआईएसएचई	अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण
एएसआई	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण
एएसएसएस	वार्षिक सेवा क्षेत्र सर्वेक्षण
एटीआर	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
सीएपी	समन्वय तथा प्रकाशन विभाग
सीएपीआई	कंप्यूटर समर्थित निजी साक्षात्कार
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीडी-रोम	कॉम्पैक्ट डिस्क –रीड-ऑनली मेमोरी
सीईएस	उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीएसआई	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीएनएलएस	वृहत राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण
डीएसी	कृषि एवं सहकारिता विभाग
डीडीजी	उप महानिदेशक
डीईपीआर	आर्थिक नीति एवं अनुसंधान विभाग
डीईएस	अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय
डीजी	महानिदेशक
डीजीसीए	महानिदेशक नागरिक उड्डयन

डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीएलएचएस	जिला स्तरीय परिवार एवं सुविधा सर्वेक्षण
डीओएलआर	भूमि संसाधन विभाग
डीपीडी	समंक विधायन प्रभाग
डीएसआईएम	सांख्यिकी तथा सूचना प्रबंधन विभाग
ईबी	परिगणना ब्लॉक
ईसी	आर्थिक गणना
ईएसडी	अर्थ सांख्यिकी प्रभाग
ईयू	रोजगार-बेरोजगारी
ईयूएस	रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण
एफओडी	क्षेत्र संकार्य प्रभाग
एफएसयू	प्रथम चरण इकाई
आईसीटी	सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी
आईसीएस	फसल सांख्यिकी में सुधार
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईएस	औद्योगिक सांख्यिकी
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईएसपी	सेवा उत्पादन सूचकांक
आईटीसी-एचएस	भारतीय व्यापार वर्गीकरण -संगत प्रणाली
जेएसओ	कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी
एलएफपीआर	श्रम बल भागीदारी दर
एमसीए	कार्पोरेट मामला मंत्रालय
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमओईएफसी	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमपीसीई	प्रति व्यक्ति मासिक व्यय

एमएस	मास्टर प्रतिदर्श
एनएडी	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एनसीओ	राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण
एनएफएचसी	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनएचएआई	भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनआईसी	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण
एनआईआईटी	राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआईटीआई	बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय आयोग
एनएनएमबी	राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो
एनआरएसए	राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी
एनएससी	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
एनएसडीए	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी

कार्यकारी सार

प्रस्तावना

1. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यादेश भारत सरकार की दिनांक 01 जून, 2015 की अधिसूचना सं. 85 में दिया गया है। इसके अध्यादेश के अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की शासी परिषद के सभी कार्य 30 अगस्त, 2006 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को सौंप दिए गए थे।

(पैरा-**1.2** से **1.6**)

2. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने नौ बैठकों का आयोजन किया । इन सभी नौ बैठकों में आयोग ने इससे संदर्भित मुद्दों और इसके शासनादेश के अंतर्गत शामिल मुद्दों पर विचार-विमर्श किया ।

(पैरा-**1.7** से **1.8**)

3. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा गठित की गई दो व्यावसायिक समितियों का कार्यकाल जून, 2013 तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने भी दो स्थायी समितियां भी गठित की हैं। कुछ अन्य समितियां हैं, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की प्रेरणा से गठित की गई।

(पैरा-**1.9** से **1.12**)

संस्थागत मुद्दे

4. रंगाराजन आयोग ने सिफारिश की है कि व्यावसायिक सांख्यिकीय सेवाओं हेतु, विशेषकर सरकार में इनकी बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए एनएसओ में एक नए कार्यालय के रूप में परामर्श स्कंध की स्थापना की जाए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मुद्दे की जांच करने के लिए एक संचालन समिति गठित की। संचालन समिति की रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 47वीं बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की गई । राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एक सोसायटी की स्थापना करे, जिसे नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाए। सोसायटी को मुख्य रूप से जो काम सौंपे जा सकते हैं वे (क) सरकार की सांख्यिकीय गतिविधियों में समय-समय पर नियोजित जनशक्ति का प्रशिक्षण (ख) केंद्र और राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्रों का सांख्यिकीय सर्वेक्षणों (जनगणना, प्रतिदर्श सर्वेक्षणों, आंकलन अध्ययन, मामले का अध्ययन, कार्यप्रणाली संबंधी अध्ययन आदि) का

आयोजन करना (ग) विश्लेषणात्मक और अनुसंधान कार्य और (घ) विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए सांख्यिकीय योजनाएं प्रदान करना है। जैसाकि सोसायटी द्वारा अपनी स्थापना के उपरांत केंद्र में सरकार की सभी सांख्यिकीय गतिविधियां की जांएगी, जिन्हें सेट-अप के अंदर नहीं किया जा सकता है, केंद्र के सरकारी विभाग किसी भी सांख्यिकीय परियोजना को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन को आउटसोर्स नहीं करेंगे

(पैरा-**2.3** से **2.11**)

सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

5. छठे वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ साथ एक सिफारिश की है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को, विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों को कवर करने वाले एक विशिष्ट सर्वेक्षण की संभावना तलाशने के लिए कहा जाए जिससे कि वे सरकारी कर्मचारियों की उपभोक्ता बास्केट प्रतिनिधित्व का निर्माण कर सके और उसके लिए एक अलग सूचकांक तैयार किया जा सके । छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्तों और अन्य भत्तों को विनियमित करने के लिए एक पृथक सूचक का समेकन किए जाने पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है । राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए किसी पृथक सर्वेक्षण किए जाने और एक पृथक सीपीआई समेकित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तथा सीएसओ द्वारा प्रकाशित की जा रही अखिल भारतीय स्तर पर सीपीआईयू से प्राप्त प्रत्येक वर्ष के 01 जनवरी तथा 01 जुलाई के अनुसार 12 मासिक मूविंग औसत का उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्तों तथा अन्य भत्तों को विनियमित करने के लिए किया जा सकता है।

(पैरा-**3.1** से **3.12**)

एनएसएसओ मामले

6. इसके अध्यादेश का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग अन्य बातों के साथ साथ एन एस एस के प्रत्येक दौर के लिए सर्वेक्षण के विषय पर निर्णय लेने, प्रत्येक दौर के लिए प्रणाली तैयार करने, परिणाम प्रस्तुत करने के लिए सारणीयन योजना तैयार करने तथा रिपोर्टों को जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने पर निर्णय लेता है । राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने समय समय पर इन सभी मामलों में सहायता देने के लिए सरकारी तथा सरकार से बाहर के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए कार्यकारी समूह गठित किए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा गठित चार कार्यकारी समूह कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता के अंतर्गत एनएसएसओ मामलों पर

एक स्थायी समिति का भी गठन किया जो एन एस एस के संबंध में समय समय पर इसके तकनीकी मुद्दों को देखती है, जो एन एस एस पर कार्यकारी समूह द्वारा देखे जाने संभव नहीं होते हैं।

(पैरा-**4.1** से **4.4**)

7. वर्ष 2012 - 13 के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अनुमोदन से एनएसएसओ ने एनएसएस के 66 वें दौर तथा एन एस एस के 67वें दौर के आंकड़ों पर आधारित 11 रिपोर्टें जारी की।

(पैरा-**4.5** से **4.6**)

8. उपभोक्ता व्यय पर उप-दौर-वार आंकड़ों के त्वरित समेकन को सुकर बनाने के लिए इस दौर की उपभोक्ता व्यय अनुसूची में प्रयोगात्मक आधार पर एक सार शीट प्रस्तुत की गई थी। एनएसएसओ ने सार शीट आंकड़ों का समेकन किया और आंकड़े वांछित गुणता वाले पाए गए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यह इच्छा जाहिर की कि प्रत्येक तिमाही के लिए मुख्य मापदण्डों के संबंध में अनंतिम परिणामों को 69वें दौर के आगे से एन एस एस ओ के एक नए उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

(पैरा-**4.7** से **4.8, 4.29**)

9. 69वें दौर के कार्यकारी समूह द्वारा तैयार की गई कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यह इच्छा जाहिर की है कि आर टी सी के आयोजन पर इसकी सिफारिशों को एनएसएस के 69वें दौर में एन एस एस ओ और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अनुपालन किया जाए। यह भी इच्छा की गई कि एनएसएसओ के लिए तैयार की गई कार्ययोजना को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उच्चतम स्तर पर संबंधित विभागों के ध्यान में लाया जाए और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने अधिकारी तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए अनुरोध भी किया जाए।

(पैरा-**4.9** से **4.11, 4.29**)

10. लैंड होल्डिंग, पशुधन होल्डिंग्स, ऋण एवं निवेश और किसानों की स्थिति आंकलन सर्वेक्षण संबंधी विषयों पर एन एस एस के 70वें दौर के कार्यकारी समूह द्वारा तैयार की गई कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया।

(पैरा-**4.12** से **4.29**)

11. एन एस एस ओ के आगामी दस वर्ष की साईकल 72वें दौर से प्रारंभ होगी और उपभोक्ता व्यय तथा रोजगार एवं बेरोजगारी पर एन एस एस के आगामी दस वर्ष की साईकल में कवर होने वाले विषयों के 74वें दौर में लिया जाएगा। एनएसएस के अगले दस

वर्ष की साईकल में कवर होने वाले विषयों के संबंध में एनएसएसओ इस मुद्दे पर व्यापक परामर्श करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन कर सकता है।

(पैरा-**4.13** से **4.16, 4.29**)

12. एनएसएस में जनसंख्या का कम अनुमान लगाए जाने के मुद्दे पर विगत में अध्ययन किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की एनएसएसओ द्वारा किए गए सुधारों के प्रभाव का आकलन करने के उद्देश्य से एन एस एस के 68वें दौर के सार आंकड़ों के आधार पर एन एस एस ओ द्वारा जनसंख्या अनुमान तैयार किए जाएं।

(पैरा-**4.17** से **4.18, 4.29**)

13. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की है कि एन एस एस के केंद्र और राज्य प्रतिदर्शों के आंकड़ों की पूलिंग पर इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन का समन्वय एनएसएसओ (डीपीडी) करें। आरंभ में उड़ीसा और बिहार इन दो राज्यों में पूलिंग की शुरूआत करने के लिए एन एस एस ओ (डी पी डी) प्रयास करेगा, अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रयोग को करने के लिए डीपडी कायर्शालाओं का आयोजन कर सकता है।

(पैरा-**4.19** से **4.21, 4.29**)

14. एफओडी जनशक्ति संबंधी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है। अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित अपने पत्र में समस्याओं तथा संभावित समाधानों पर एक नोट प्रेषित किया । राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की है कि नोट में दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के साथ समन्वय करें।

(पैरा-**4.25** से **4.29**)

गुणवत्ता संबंधी मुद्दे

15. वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2012-13) की अनुदान मांगों पर अपनी 54वीं रिपोर्ट में आई आई पी तथा व्यापार आंकड़ों के संबंध में आकड़ों में त्रुटियों पर एक स्वतंत्र जांच किए जाने की सिफारिश की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कार्य लेने के लिए डॉ. आर.बी. बर्मन को नियुक्त किया । डॉ. बर्मन की रिपोर्ट और सीएसओ (ईएसडी) एवं डीजीसीआई एंड एस द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा विचार किया गया । राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सिफारिश करती है कि डॉ. बर्मन की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर शीघ्र ही कार्यान्वयन किया जाए।

(पैरा-5.1 से 5.7**, 5**.21)

16. केंद्र में संबंधित मंत्रालयों/ विभागों द्वारा सर्वेक्षण करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के साथ परामर्श से दिशा-निर्देश जारी किए । दिशा -निर्देश के आलोक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय व जनजातीय मामला मंत्रालय से एनएसएसओ (सीपीडी) से सर्वेक्षण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एमएसएमई पर प्रस्ताव के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग चाहता है कि मंत्रालय और ब्यौरे प्रस्तुत करे। ठेका मजदूरों पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की कि कार्य प्रणाली तैयार करने, पायलट परीक्षण करने, जैसा आवश्यक हो, के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक कार्यकारी समूह गठित किया जाए और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए । जनजातीय मामला मंत्रालय के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि भिन्न-भिन्न आयामों के संदर्भ में जनजाति के संबंध में डाटा अपेक्षाओं का ब्यौरा तैयार करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक समूह गठित किया जाए।

(पैरा-**5.8** से **5.13, 5.21**)

17. एनएसओ द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सरकारी आंकड़ों की गुणवत्ता पर मीडिया द्वारा की जा रही आलोचना के संबंध में यह महसूस किया गया कि अधिकांश मामलों में आलोचना इस लिए की जा रही है क्योंकि डेटा ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है जिसके लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सार्वजनिक डोमेन के साथ संप्रेषण में सुधार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की है कि अधिकारिक प्रवक्ताओं को अधिसूचित करते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए जाएं।

(पैरा-**5.14, 5.21**)

18. राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में समेकित एन एस एस ओ उपभोक्ता व्यय अनुमान (सीईएस) और निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) के बीच के मुद्दे की डॉ. सविता शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा जांच की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि डॉ. सविता शर्मा समिति की रिपोर्ट को अंतिम उपलब्ध आंकड़ों के साथ तुलना करके अद्यतन किया जाए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की है कि सीएसओ (एनएडी) इसके विचारार्थ और इसे सार्वाजनिक डोमेन में प्रस्तुत करने के लिए अद्यतित कागजात प्रेषित करे।

(पैरा-**5.15, 5.21**)

19. सी एस ओ द्वारा प्रयोजन की अनूकूलता से सूचकांकों से उत्पन्न होने वाली कार्यप्रणाली ब्यौरे, दृष्टिकोण में अंतर तथा मुद्रास्फीति दरों में भिन्नता दर्शाने के साथ साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर एक नोट तैयार किया जाए और उसे पब्लिक डोमेन पर रखा जाए ।

(पैरा-**5.16, 5.21**)

20. प्रशिक्षण क्षमता विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है जो डेटा की गुणता में व्यापक सुधार करने में सहयोग करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सांख्यिकीय अधिकारियों तथा स्टाफ के प्रशिक्षण जो नासा द्वारा आयोजित किया जा रहा है और फीडबैक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिफारिश किए गए उपायों की समीक्षा की ।

(पैरा-**5.17, 5.21**)

21. सभी आधिकारिक एजेंसियों द्वारा प्रयोग करने के लिए सांख्यकीय संकल्पना, परिभाषाओं और वर्गीकरणों पर मानक निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। मौजूदा विभिन्न विषयों पर सांख्यिकीय मैनयुअल जारी किए जाने के माध्यम से मानक उपलब्ध कराया जाना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की है कि मैनुअल तैयार करने तथा उसे जारी करने का काम समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और मैनुअल को समीक्षा हेतु इसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(पैरा-**5.18** से **5.21**)

कार्यान्वयन मुद्दे

22. सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार लाने के लिए विभिन्न समितियों और आयोगों की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना चिन्ता का विषय रहा है। रंगाराजन आयोग द्वारा की गई 623 सिफारिशों के संबंध में पाया गया कि 147 सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है, 9 को व्यवहार्य न पाते हुए निरस्त कर दिया गया है और शेष 261 सिफारिशों का कार्यान्वयन प्रगति पर है तथा 206 सिफारिशों के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति तय किया जाना अभी शेष है। लंबित सिफारिशों के संबंध में और सीएसओ एवं एनएसएसओं में वरिष्ठ स्तर के पद को भरने तथा व्यापार सांख्यिकी के संबंध में कुछ सिफारिशों के कार्यान्वयन पर भारत के मुख्य सांख्यिकीयविद् द्वारा अनुमोदित आगे की कार्रवाई योजना का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा समर्थन किया गया।

(पैरा-**6.1** से **6.9, 6**.26)

23. डॉ. सी रंगाराजन की अध्यक्षता में नियुक्त की गई बचत और निवेश के अनुमानों पर एक उच्च स्तरीय समिति ने 16.03.2009 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की । यह निर्णय लिया गया कि एनएसएसओ समिति की सिफारिश के अनुसार परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से बचत और निवेश के अनुमान पर पायलट सर्वेक्षण करेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की है कि पायलट सर्वेक्षण के आयोजन से संबंधित सभी कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूरी की जाए।

(पैरा-**6.10** से **6.12, 6.26**)

24. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग अब तक छः वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत कर चुका है। सरकार ने की गई कार्रवाई रिपोर्टों (एटीआर) के साथ पहली पांच रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने की गई कार्रवाई रिपोर्टों की समीक्षा की है और महसूस किया है कि ऐसे कई मामलों में कार्रवाई या तो पूरी नहीं थी अथवा कार्रवाई प्रगति पर थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की है कि अद्यतन स्थिति को दर्शाते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सभी एटीआर को अद्यतन करे और संसद के दोनों पटलों पर रखें।

(पैरा-**6.13** से **6.17, 6.26**)

25. सामाजिक क्षेत्र सांख्यिकी पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अपनी 45वीं बैठक में विचार किया गया और यह निर्णय लिया कि रिपोर्ट एक पहले मसौदे के रूप में मानी जाए और इसकी उपलब्धता, आंकड़ों की गुणवत्ता और सामाजिक क्षेत्र के संबंध में आंकड़ा अंतरालों के संदर्भ में इसके आगे ब्यौरों की जांच की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इस बैठक में यह अपेक्षा की है कि कार्य को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा के साथ इस प्रयोजन के लिए सीएसओ द्वारा एक समूह गठित किया जाए। मामले पर पुनः विचार करने के बाद एसएससी ने सिफारिश की कि कुछ विशेषज्ञों से थीम पेपर मंगवाएं जाएं और इन्हें इस के समक्ष रखा जाए

(पैरा-**6.18** से **6.20, 6.26**)

26. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय लेखों और सभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को समेकित करने वाली एजेंसियों द्वारा उस वर्ष के साथ जिसके लिए उपभोक्ता व्यय पर पांच वर्ष का एनएसएस दौर चलाया जाएगा, के आधार को संरेखित किया जाए। थोक मूल्य सूचकांक और आई आई पी जैसे अन्य सूचकांक तैयार करने वाली अन्य एजेंसियों से भी इसी प्रकार की पद्धति का अनुपालन करना वांछनीय है।

(पैरा-**6.21, 6.22, 6.26**)

27. कृषि एवं सहकारिता विभाग ने कृषि संबंधी सांख्यिकी की विस्तृत जांच के लिए डॉ. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में 26 फरवरी, 2009 को एक समिति गठित की। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट विभाग को फरवरी 2011 में प्रस्तुत की। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की है कि कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा अंतिम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाए।

(पैरा-**6.23, 6.24, 6.26**)

28. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने 05 अक्टूबर, 2012 को बंगलौर में कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की और कर्नाटक सांख्यिकीय प्रणाली में और सुधार करने की सिफारिश की ।

(पैरा-**6.25, 6.26**)

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 डॉ. सी. रंगाराजन की अध्यक्षता में जनवरी 2000 में सरकार द्वारा एक आयोग स्थापित किया गया जिसने देश में सांख्यिकी प्रणाली और आधिकारिक सांख्यिकी के समस्त विस्तार की समीक्षा की और अगस्त 2001 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । रंगाराजन आयोग की सिफारिशों में एक मुख्य सिफारिश देश की सभी मुख्य सांख्यिकीय गतिविधियों को विकसित करने, निगरानी और सांख्यिकीय प्राथमिकताओं को विकसित करने तथा मानक लागू करने एवं शामिल एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल एवं अधिकार प्राप्त निकाय के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए सांख्यिकी पर एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना था।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना

1.2 भारत सरकार ने रंगाराजन आयोग की तर्ज पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III-खण्ड-4 में प्रकाशित 1 जून, 2005 की अधिसूचना सं. 85 के माध्यम से एक स्थायी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग) की स्थापना करने का संकल्प लिया। आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्य और सचिव, योजना आयोग एक पदेन सदस्य के रूप में होंगे। भारत के मुख्य सांख्यिकीयविद (सीएसआई) योजना आयोग के सचिव हैं। उनके पास दोहरी भूमिका है जैसाकि वे सांख्यकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार भी है। अंशकालिक अध्यक्ष / राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का सदस्य और सीएसआई की सेवा शर्तें भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II खण्ड -3 के उपखंड (II) में प्रकाशित दिनांक 10 मई 2006 की अधिसूचना सं. 465 में दी गई है।

(ii). आयोग को अपने कार्यों का निष्पादन करने में आयोग की सचिव के सहायतार्थ एक छोटा सचिवालय जिसमें एक उपमहानिदेशक और अन्य स्टाफ के साथ एक निदेशक शामिल हैं, का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की रचना

1.3 उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसरण में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का समय समय पर गठन किया जाता रहा है और यह 12 जुलाई 2006 से कार्य कर रहा है। अंशकालिक अध्यक्ष/ राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष का होता है। रिपोर्ट

की समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में अंशकालिक सदस्यों के नाम नीचे दिए गए हैं-

प्रो. आर. राधाकृष्ण	--	अध्यक्ष 29.7.2012 तक
डॉ. प्रणब सेन	--	अध्यक्ष 25.2.2013 से
श्री सुमन के. बेरी	--	सदस्य 23.12.2012 तक
प्रो. सुदिप्तो मुंडले	--	सदस्य 23.12.2012 तक
प्रो. शिबदास बंदोपाध्याय	--	सदस्य 1.10.2012 तक

1.4 प्रो. राधाकृष्ण के कार्यकाल के पूरा हो जाने के कारण हुई रिक्ति पर प्रो. सुदीप्त मंडल सदस्य अपने कार्यकाल के पूरा होने तक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रभारी अध्यक्ष रहे। डॉ. टीसीए अनन्त पूरी समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत के मुख्य सांख्यिकीविद (सीएसआई) और योजना आयोग के सचिव थे।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यादेश

1.5 भारत सरकार के दिनांक 1.6.2005 के उपर्युक्त संकल्प के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को निम्नलिखित के लिए आदेश दिए गए, -

(क) मुख्य सांख्यिकी की पहचान करने के लिए जो राष्ट्रीय महत्व की है तथा अर्थव्यवथस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है;

(ख) विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर आयोग की सहायता के लिए व्यावसायिक समितियों अथवा कार्यकारी समूहों के गठन करने के लिए;

(ग) सांख्यिकी प्रणाली के लिए राष्ट्रीय नीतियों तथा प्राथमिकताओं को विकसित करने के लिए;

(घ) सांख्यकीय के भिन्न- भिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय संकल्पनाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों और कार्यप्रणालियों को विकसित करने तथा मुख्य सांख्यिकी पर राष्ट्रीय गुणवत्ता स्तर के मानकों को विकसित करने के लिए;

(ङ) विभिन्न डेटा सेटों के लिए रिलीज कैलेन्डर सहित मुख्य सांख्यिकी के संचयन, तालिका बनाना उनका प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार करने के लिए;

(च) सूचना प्रोद्योगिकी एवं सांख्यिकी प्रणाली की संचार आवश्यकताओं सहित आधिकारिक सांख्यिकी पर मानव विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां विकसित करने के लिए;

(छ) आधिकारिक सांख्यिकी पर सार्वजनिक विश्वास में सुधार हेतु उपाय विकसित करने के लिए;

(ज) मौजूदा संस्थागत तंत्रों को मजबूत किए जाने के साथ सांख्यिकीय गतिविधियों पर राज्य सरकार तथा संघशासित प्रदेशों के साथ प्रभावी समन्वय हेतु उपायों का विकास करने के लिए;

(झ) केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं अन्य एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय समन्वय पद्धति अपनाने के लिए;

(ञ) सांख्यिकीय उत्पादों के गुणता तथा अंखण्डता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय गतिविधियों की तुलना में सांख्यिकीय लेखा परीक्षा की पद्धति अपनाने के लिए;

(ट) खण्ड (ग) से (ज) के अंतर्गत विकसित मानक रणनीतियों तथा अन्य उपायों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार जैसा भी मामला हो, की सिफारिश के लिए;

(ठ) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए कानून सहित सांख्यिकीय मामलों पर विधायी उपायों को अपेक्षित किए जाने हेतु सरकार को सलाह देने के लिए;

(ड) निर्धारित नीतियों, मानकों और कार्यप्रणालियों के आलोक में सांख्यिकीय प्रणाली के कार्यों को मॉनीटर करने तथा समीक्षा करने एवं बढ़े हुए निष्पादन के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए;

1.6 केंद्रीय मंत्रिमंडल की 10 अगस्त, 2006 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उपर्युक्त शासनादेश के अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की शासी परिषद के सभी कार्य 30.8.2006 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को सौंप दिए गए।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्य

1.7 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान नौ बैठकों का आयोजन किया। बैठकों की तारीखें नीचे दर्शाई गई है:-

बैठकों का क्रम	बैठकों की तारीख	स्थान जहां आयोजित की गई
49	30 अप्रैल से 1 मई 2012	नई दिल्ली
50	24 से 25 मई 2012	नई दिल्ली

51	22 से 23 जून 2012	नई दिल्ली
52	11 से 12 जुलाई 2012	नई दिल्ली
53	21 जुलाई 2012	नई दिल्ली
54	24 से 25 अगस्त 2012	नई दिल्ली
55	5 से 6 अक्टूबर 2012	बैंगलोर
56	9 नवंबर 2012	नई दिल्ली
57	10 दिसम्बर 2012	नई दिल्ली

1.8 सभी नौ बैठकों में आयोग ने उनके संदर्भित मुद्दों तथा इसके शासनादेश के अंतर्गत आने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श किया । आयोग ने संबंधित विषयों पर सांख्यिकी प्रणाली में सुधार पर संबंधित विषय सामग्री के विशेषज्ञों के साथ परामर्श तथा विस्तृत चर्चाएं भी की । प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त रिकार्ड किए गए उन्हें सभी सदस्यों को परिचालित किया गया और अनुवर्ती बैठक में चर्चा के बाद उनकी पुष्टि भी की गई। आयोग की सिफारिशें जैसे और जब की गई थी, उन्हें संबंधित सरकारी विभागों की उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिया गया था।

व्यावसायिक समितियों का गठन

1.9 आयोग ने विभिन्न विषय क्षेत्रों में अपनी सहायता के उद्देश्य से नौ व्यावसायिक समितयों का गठन किया। इन में से सात समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने वर्ष 2011-12 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सिफारिश की थी। यह सूचित किया गया कि सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने के लिए कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी और आधिकारिक एजेन्सियां/ डिवीजन जो कार्य योजनाओं को तैयार किए जाने में योगदान देने के लिए उत्तरदायी है, उनकी पहचान की जाएगी। शेष दो व्यावसायिक समितियां अभी भी काम कर रही हैं और उनका कार्यकाल जून 2013 तक बढ़ा दिया गया है। दो समितियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

- प्रो. वाई.के. अलग, अध्यक्ष, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान की अध्यक्षता के अंतर्गत कृषि तथा सहायक क्षेत्रों की सांख्यिकी पर समिति
- डॉ. आर बी बर्मन, पूर्व कार्यकारी निदेशक, आरबीआई की अध्यक्षता के अंतर्गत कॉर्पोरेट सेक्टर तथा सहायक क्षेत्रों की प्रशासनिक सांख्यिकी पर समिति

1.10 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने दो स्थायी समितियों का गठन किया। इन समितियों के कार्यों का ब्यौरा अनुवर्ती अध्यायों में दिया गया है। इन समितियों के नाम नीचे दिए गए हैं:-

- रंगाराजन आयोग सिफारिशों तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सिफारिशों के मॉनीटरिंग कार्यान्वयन पर स्थायी समिति
- एनएसओ मामलों पर स्थायी समिति

1.11 कुछ अन्य समितियां है जिनका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के उदाहरण पर गठन किया है। विवरण नीचे दिया गया है।

(1) प्रो. बिश्वनाथ गोलदर की अध्यक्षता के अंतर्गत औद्योगिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति

(2) प्रो. के.सुंदरम की अध्यक्षता के अंतर्गत राष्ट्रीय लेखों पर सलाहकार समिति

(3) प्रो. अतुल शर्मा की अध्यक्षता के अंतर्गत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्लान स्कीम 'क्षमता विकास' के मूल्यांकन के लिए समिति

(4) प्रो. टी एस पपोला की अध्यक्षता के अंतर्गत कॉन्ट्रेक्ट लेबर का अनुमान लगाने के लिए कार्य प्रणाली तैयार करने के लिए कार्यकारी समूह

(5) श्री सुमन के बेरी, सदस्य राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (वर्तमान में डा एसएल शेट्टी की अध्यक्षता के अंतर्गत) की अध्यक्षता के अंतर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से बचत और निवेश के प्रत्यक्ष अनुमान के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन हेतु कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए समिति

(6) डॉ टी एस पपोला की अध्यक्षता के अंतर्गत व्यवसाय श्रेणी के कवरेज पर गौर करने के लिए कार्यकारी समूह

(7) डॉ दिलीप नचाने की अध्यक्षता के अतंर्गत ऋतु के अनुसार समायोजित श्रृंखला के समेकन पर गौर करने के लिए विशेषज्ञ समूह

(8) प्रो. एस पी हाशिम की अध्यक्षता के अंतर्गत समय उपयोग सर्वेक्षण पर कार्यकारी समूह

1.12 क्रम सं. (3) से (8) तक उपर्युक्त समितियों ने कार्यकाल का उल्लेख किया है जबकि शेष दो सतत प्रकृति की हैं। क्रम सं. (4) से (8) पर उल्लिखित समितियों की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। क्रम सं. (3) पर उल्लिखित समिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई है और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के विचाराधीन है। क्रम सं. (1) और (2) पर उल्लिखित समितियों के कार्य की राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी 54वीं बैठक में समीक्षा की ।

इस रिपोर्ट के बारे में

1.13 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एक परामर्श स्कंध की स्थापना से संबंधित संस्थागत मुद्दों पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें अध्याय दो में दी गई है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को विशेष तौर से सरकारी कर्मचारियों को कवर करने वाले विशेष सर्वेक्षण की संभावनाओं को तलाशने के लिए कहा जाए ताकि सरकारी कर्मचारियों का एक खपत बास्केट प्रतिनिधि तैयार किया जा सके और एक पृथक सूचकांक तैयार किया जा सके । इस संदर्भ में उत्तर अध्याय 3 में दिया गया है, अध्याय 4 में एनएसएसओ की सर्वेक्षण गतिविधियों में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की भूमिका का लेखा है। अध्याय 5 में भिन्न- भिन्न सांख्यिकीय परिणामों और प्रक्रियाओं के गुणता संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय 6 में विभिन्न समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधी मुद्दे शामिल है जिसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्टों में दी गई सिफारिशें शामिल हैं। इन पैराओं के अंतर्गत आने वाले मुद्दे व्यापक रूप से पैरा 1.5 के उप पैरा (घ) से (च) तथा (ट) से (ड) में उल्लिखित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के शासनादेश के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कार्यालयों के नाम अध्याय 2 से 6 में दिए गए है।

आयोग का व्यय

1.14 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना जिसमें वेतन, भत्ते, घरेलू यात्रा, कार्यालय व्यय, आवास का किराया, व्यावसायिक सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं और आयोग के दैनन्दिन अपेक्षाओं के कारण वार्षिक व्यय संसद द्वारा जनमत **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** की मांग से पूरा किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 के लिए बजट अनुमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के गैर योजना बजट के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए 142.36 लाख रूपये का एक प्रावधान रखा गया था। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि वर्ष 2012-13 के दौरान 111.64 लाख का व्यय किया गया ।

अध्याय-2

संस्थागत मुद्दे

पृष्ठभूमि

2.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्टों में भारतीय सांख्यकीय प्रणाली से संबंधित कुछ संस्थागत मुद्दों का निपटान किया और उपयुक्त सिफारिशें की। इनमें शामिल हैं भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की अध्यक्षता में केंद्र में एक पृथक सांख्यिकीय विभाग की स्थापना करना, सीएसआई के सहायतार्थ सांख्यिकीय सलाहकार की भूमिका संस्थागत बनाना और संसद के एक अधिनियम में एक नोडल, सलाहकार एवं नियामक कार्य करने में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को एक सांविधिक दर्जा दिया जाना शामिल है।

2.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान सांख्यिकीय सेवाओं के लिए सरकार में बढ़ती मांग का सामना करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एक परामर्श स्कंध की स्थापना करके व्यावसायिक तंत्र के सृजन के मुद्दे पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने विचार किया । निम्नलिखित पैराओं में ब्यौरा दिया गया है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में परामर्श स्कंध की स्थापना करना

2.3 रंगाराजन आयोग ने सिफारिश की है कि विशेषकर सरकार के अंदर व्यावसायिक सांख्यिकीय सेवाओं के लिए बढ़ती मांग को सेवाएं प्रदान करने के लिए एनएसओ में एक नए कार्यालय के रूप में एक परामर्श स्कंध की स्थापना की जाए। आयोग का यह मत था कि निजी ऐजेन्सियों की संदिग्ध क्षमता के कारण तथा मौजूदा स्थापना के साथ कार्य करने के लिए नए सांख्यिकीय पदों पर अपनी ही मांग को पूरा करने में सरकार की असमर्थता के कारण एक परामर्श स्कंध स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। आयोग का यह भी मत था कि निजी एजेंसियों को नियुक्त न करना भी कोई उपाय नहीं है । परंतु गुणता के मामले का समाधान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश तैयार करने से यह संभव होगा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 14.9.3 में सिफारिश की है कि आयोग द्वारा सांख्यिकी की गुणता के प्रमाणीकरण का कार्य स्वैच्छिक आधार पर सांख्यिकी तैयार करने वाली निजी एजेन्सियों को दे दिया जाए। परामर्श स्कंध की स्थापना के बारे में रंगाराजन आयोग की रिपोर्ट का सार अनुबंध- 2.1 पर है।

2.4 उपर्युक्त कुछ मुद्दों की जांच कर ली गई है और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अपनी पिछली रिपोर्ट में सरकार को उचित सिफारिशें की। वित्तीय वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने एक कोड ऑफ स्टैटिस्टकल प्रैक्टिस की सिफारिश की

है जिनका निजी एजेन्सियों द्वारा स्वैचिछक आधार पर अनुसरण किया जाना निर्धारित है। सरकारी एजेन्सियों के लिए सांख्यिकीय गतिविधियां आउट सोर्स करवाना अपरिहार्य होने से संबंधित तथ्य की पहचान करते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की है कि आउटसोर्स का सहारा लिए जाने पर भी सरकार द्वारा दिशा निर्देशों का पालन किया जाए ताकि निजी एजेनसियों द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों की गुणता पर प्रसंग के संबंध में आंकड़ों के एकत्रित तथा प्रसार किए जाने में एक व्यावसायिक दृष्टिकोण पर समझौता न करना पड़े। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट के अध्याय-II में सिफारिश किए गए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बिल में उचित उपाय बताए है। बिल में निजी कंपनियों के लिए गुणता आश्वासन पर सांख्यिकीय सेवा हेतु प्रावधान है।

2.5 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में परामर्श सेवा स्कंध की स्थापना के मुद्दे की जांच करने के लिए उपर्युक्त रंगाराजन आयोग की सिफारिशों की एक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 6 अगस्त, 2010 में एक संचालन समिति का गठन किया गया। संचालन समिति की रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को इसकी 47वीं बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की गई। संचालन समिति द्वारा प्रस्तावित परामर्श सेवा स्कंध की मुख्य विशेषताएं अनुबंध 2.2 में दी गई है।

2.6 सरकार द्वारा सांख्यिकीय कार्य के लिए निजी एजेंसियों को नियुक्त करने के संबंध में सामान्यत: ऐसा माना जाता है कि निजी एजेंसियां लाभ के उद्देश्य से ही कार्य करती है इस हद तक सरकारी एजेंसियों को कोष से अतिरिक्त खर्च करना होगा। जबकि सरकार के लिए समय समय पर सांख्यिकी आवश्यकताओं को तदर्थ आधार पर पूरा करने के लिए अपने स्थापना में वृद्धि कर पाना संभव नहीं होगा, ऐसा सरकार के लिए मितव्ययी होगा यदि वह अपने संगठन के प्रशासन के पर्यवेक्षण में (सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं) एक संगठन स्थापित करे जिसमें गुणता के साथ कोई समझौता किए बिना परंतु कुछ अतिरिक्त लागत से प्रयोजन सिद्ध हो सके जो इसी प्रयोजन के लिए निजी एजेंसियों के लाभ के संदर्भ में उन्हें दी जाने वाली लागत से बहुत कम होगी। अधिकांश निजी एजेंसियां प्रत्येक परियोजना के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करती है जिसमें मुख्यत: स्टाफ लागत, मैटीरियल लागत, प्रबंधन लागत और लाभ शामिल होता है, यदि सरकार अपनी स्थापना में नियमित स्टाफ को जोड़े बिना पहले तीन घटकों को पूरा कर सकती है, जिस तरीके से निजी एजेंसियों द्वारा किया जाता है और जॉब को एक परियोजना तरीके से किया जाता है इसमें व्यय काफी कम होगा। अत: परामर्श स्कंध यदि स्थापित किया जाता है तो सरकार के लिए बहुत लाभकारी होगा।

2.7 संचालन समिति द्वारा एक कंपनी के रूप में परामर्श स्कंध की विशेषताओं में यह इंगित किया जाता है कि कंपनी सरकार अथवा अन्य विभागों से प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के माध्यम से सांख्यिययकीय परियोजनाएं प्राप्त करेगी और निजी एजेंसियों को पैनल में शामिल

करके परियोजना का कार्य करेगी। यदि एक निजी एजेन्सी और प्रस्तावित कंपनी जिसने उस निजी एजेन्सी को पैनल में शामिल किया है तो वे दोनों निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करती है तो कंपनी को संविदा सौंपे जाने की संभावना लागत की दृष्टि से निराशाजनक हो जाती है । यद्यपि सरकार प्रस्तावित कंपनी को सहायता युक्त व्यवहार करके अथवा प्राथमिकता के आधार पर संरक्षण देती है तो सरकार को निजी एजेन्सियों पर गुणता पर्यवेक्षण का लाभ प्राप्त होगा जो प्रस्तावित कम्पनी प्रदान कर सके परंतु कंपनी ऐसा करने पर अपना मुनाफा अवश्य जोड़ेगी जिसमें इसकी लागत ही नहीं परंतु लाभ भी शामिल होंगे। यह अतिरिक्त व्यय होगा जिसे सरकार द्वारा व्यय के अतिरिक्त व्यय करना होगा जो सीधे निजी एजेन्सी को नियुक्त करने पर किया जाता।

2.8 अन्य पहलु जो संचालन समिति की रिपोर्ट के विरूद्ध जाता है, वह गुणता पर्यवेक्षण को बनाए रखने के बारे में है। हांलाकि सरकार प्रस्तावित कंपनी के माध्यम से इसके रचनात्मक वर्षों में गुणता पर्यवेक्षण सुनिश्चित किए जाने के ठोस उपाय करती है। बाद में यदि कंपनी का विनिवेश होता है तो सरकार की गुणता पर्यवेक्षण पर अपनी पकड़ कम हो जाएगी पैनल में शामिल निजी एजेन्सियों पर गुणता पर्यवेक्षण का ब्यौरा तथा कंपनी के संचालन में पारदर्शिता की पद्धति के बारे में संचालन समिति की रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। प्रस्तावित कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है जिससे कंपनी के लिए ब्यौरा प्राप्त करना असंभव होगा बशर्ते कंपनी स्वयं उन्हें सार्वजनिक करती है।

2.9 प्रस्तावित कंपनी वाणिज्यिक शर्तों पर कार्य करेगी और अपने ग्राहकों को संतोषजनक सेवाएं प्रदान करेगी। सरकार की सांख्यिकीय परियोजना जो प्रस्तावित कंपनी को सौंपी जा सकती है, सरकार के प्रदर्शन का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अनुमान लगा सकती है। यदि आज की सरकार एक उपभोक्ता है और प्रस्तावित कंपनी को उपभोक्ता को संतुष्ट करना है तो रूचि में टकराव के कारण वह आवंटित परियोजना मे सच को दर्शाने की स्थिति में नहीं होगी। संचालन समिति की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं पाया गया जो इस समस्या का समाधान करें।

2.10 सांख्यिकीय परियोजनाओं का दायित्व लेना एक लाभप्रद व्यवसाय है जैसाकि रंगाराजन आयोग के निष्कर्षों तथा संचालन समिति की रिपोर्ट में देखा जा सकता है। सरकार अधिकांश परियोजनाओं में प्रमुख लाभार्थी/उपभोक्ता है। प्रश्न जिसका जवाब दिया जाना आवश्यक है,

क्या सरकार द्वारा वाणिज्यिक शर्तों पर उचित व्यवसाय में हिस्सा लेने के लिए उचित कारण है? दूसरा क्या सरकार सभी व्यवसायों में हिस्सा ले सकती है जहां यह प्रमुख लाभार्थी/उपभोक्ता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का मत है दरअसल यह सरकार का आवंटित व्यवसाय के अनुरूप नहीं है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें

2.11 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सीएसओ (एसएसडी) की सहायता से अपनी 49 वीं तथा 52 वीं बैठक में परामर्श स्कंध के लिए अन्य मॉडल, जैसाकि सोसाइटी और सैक्शन 25 कम्पनी के रूप में संचालन समिति की रिपोर्ट के साथ विचार किया और निम्नलिखित सिफारिशें की :-

(1) एक संस्थान की आवश्यकता है जो व्यावसायिक तरीके से सांख्यिकीय परियोजनाओं का दायित्व ले, जो सरकार के मौजूदा सैटअप में शामिल नहीं किया जा सकता अथवा उसके द्वारा लिए नहीं जा सकता । इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की जाने वाली एक सोसायटी की स्थापना करे जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो। सोसाइटी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रशासनिक निरीक्षण (सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं) में हो और इसकी गतिविधियों को अलाभकारी उद्देश्य से ले।

(2) सोसाइटी को मुख्य रूप से कार्य दिए जा सकते है वे (क) सरकार की सांख्यिकीय गतिविधियों में समय समय पर नियुक्त किए जाने वाले जनशक्ति का प्रशिक्षण (ख) केंद्र सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के सांख्यिकीय सर्वेक्षणों (जनगणना, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, आकलन अध्ययन, मामलों को अध्ययन, कार्यप्रणाली संबंधी अध्ययन आदि) (ग) विश्लेषणात्मक और अनुसंधान कार्य, और (घ) विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए साख्यिकीय योजनाएं प्रदान करना है। यह निजी क्षेत्र द्वारा ऑफर की गई परामर्शी परियोजनाएं/सेवाएं भी ले सकता है।

(3) नासा को भी सोसायटी का हिस्सा बनाया जाए।

(4) सोसायटी के निर्बाध कार्य के लिए सोसाइटी को प्रत्यायोजित पर्याप्त अधिकारों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संचालन समिति द्वारा सोसायटी के लिए ढांचा, प्रारंभिक धन की अपेक्षाएं आदि पर आगे का विवरण सरकार द्वारा स्थापित अन्य इसी प्रकार की समितियों की तर्ज पर तैयार किए जाए।

सोसायटी को न्यूनतम स्टाफ प्रदान किया जाए ताकि संबंधित गतिविधियां आउटसोर्स के माध्यम से करवा सकें।

(5) सोसायटी को कोड ऑफ स्टेटिस्टकल प्रैक्टिस तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा सिफारिश की गई सांख्यिकीय गतिविधियों के आउटसोर्स करने पर दिशा निर्देश का अनुपालन करना होगा ताकि आंकड़ों के एकत्रित करने तथा उनके प्रसार में व्यावसायिक दृष्टिकोण पर समझौता न करना पड़े।

(6) जैसाकि सोसायटी इसकी स्थापना के पश्चात केंद्र में सरकार की सभी सांख्यिकीय गतिविधियां करेगी जो सेट-अप के नहीं किए जा सकते हैं, केंद्र में सरकारी विभाग किसी सांख्यिकीय परियोजना को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन को आउटसोर्स नहीं करवाएगी।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

अनुबंध 2.1

रंगाराजन आयोग रिपोर्ट का सार

14.5.18 परामर्शी स्कंध विशेष तौर पर सरकारी व्यावसायिक सांख्यिकीय सेवाओं के लिए बढ़ती मांग हेतु अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। वर्तमान में इस मांग को आंशिक रूप से निजी एजेंसियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है, जिनकी क्षमता संदेहास्पद हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि कुछ केंद्र और राज्य सरकारी विभाग आउटसोर्स अध्ययनों, सर्वेक्षणों और परामर्श कार्य के लिए कुछ सौ करोड़ रू. का वार्षिक व्यय कर रहे हैं। सरकारी विभागों द्वारा बाह्य एजेन्सियों को दी गई ऐसी परियोजनाओं की एक सांकेतिक सूची अनुबंध 14.8 (इस रिपोर्ट में नहीं दी गई) पर है। परामर्शी स्कंध का अन्वेषणों तथा सांख्यिकी प्रकृति के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करना उद्देश्य होगा और संबंधित व्यावसायिक सांख्यिकी सेवाएं प्रदान करेगा जिन्हें सरकार के अंदर मौजूदा प्रबंधन में स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह स्कंध अनिवार्य रूप से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेगा और इसका उद्देश्य व्यावसायिक सांख्यिकी गतिविधियों के लिए वाणिज्यिक स्कंध के रूप में कार्य करने का होगा। इसकी प्रारंभिक अवस्था में सरकार के बाहर एक स्वतंत्र निगमित संस्था बन जाने से पहले यह एनएसओ के संरक्षण में रहेगी।

14.5.19 प्रारंभ में डाटा संग्रहण, प्रोसेसिंग, विश्लेषण तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षणों अथवा इसको सौंपे गए विषयों के माध्यमों से रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से परियोजनाएं ली जा सकती है। ये कार्य प्रणाली संबंधी अध्ययनों और मॉडल बिल्डिंग सहित सांख्यिकीय समस्याओं से संबंधित परामर्शी सेवाएं भी कर सकता है। यह विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग परामर्शी (दोनों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय) तैयार करेगा और वाणिज्यिक शर्तों पर परामर्श बाजार में प्रतिस्पर्धा करेगा । कुछ गतिविधियों में कार्य प्रणाली संबंधी अध्ययन, सर्वेक्षण, मैक्रों इकानोमिटरिक मॉडलिंग और पूर्वानुमान और राज्य सरकारों का परामर्श शामिल है। यह उचित सांख्यिकीय मानकों तथा कार्य प्रणाली का अनुसरण करेगा। परामर्श स्कंध प्रतिनियुक्ति पर भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारियों सहित परियोजना विशिष्ट के कुशल कार्मिकों को किराए पर लेने के लिए स्वतंत्र है।

14.5.20 एक नई गतिविधि होने के कारण आयोग ने इस गतिविधि के बढ़ने के साथ संगठनात्मक ढांचे को विकसित किए जाने की सिफारिश की है।

14.6.21 निर्णय लेने जैसी विशेष समस्या का समाधान करने के लिए डाटा का उपयोग करने के लिए नि:संदेह विश्लेषणात्मक सांख्यिकीय विशेषज्ञता का विकास करने की आवश्यकता होगी । किसी विशेष समस्या के प्रसंग में सांख्यिकी संबंधी ''जानकारी''

उपलब्ध आंकड़ों से सृजन किए जाने पर फोकस रहेगा और इसका आधुनिक सांख्यिकीय पद्धतियों एवं प्रचालन अनुसंधान तकनीकों के साथ तथा सरल उपयोग से सुपरिचित होना अपेक्षित है। डी ई एस को 'समस्या समाधानकर्ता' नाम से एक लघु डाटा विशलेषण इकाई का निर्माण करना होगा और इन तकनीकों में सक्षम एक अथवा दो साख्यिकीयविदों की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन एस ओ) के कथित संगठन में यह प्रस्ताव किया जाता है कि परामर्शी स्कंध का निर्माण किया जाए। डीईएस इस स्कंध में कार्यरत सांख्यिकीविदों को अपेक्षानुसार आमंत्रित करने के लिए सक्षम होगा। राज्य डीईएस में समस्या का समाधान करने हेतु विश्लेषणात्मक क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए यह सहायता करेगा, यदि वे अपने अनुभव साझा करते हैं। इसके लिए यह लाभकारी होगा यदि केंद्र एवं राज्य के सांख्यिकीविदों के सम्मेलन में इस प्रयोजन के लिए तकनीकी सत्र किए जाते हैं।

14.2.74 सरकार का आकार कम करने की प्रवृत्ति से उभरते हुए और दीर्घावधि लागतों में अर्थव्यवस्था की मीमांसा से प्रेरित होते हुए और स्टाफ प्रबंधन की समस्याओं का निवारण करने और सरकारी विभागों द्वारा आंकड़े एकत्रित करने में संभावित पक्षपात को रोकने तथा वस्तुनिष्ठता की कमी के होते हुए एक मत आधार बनता हुआ प्रतीत होता है कि सरकारों को तथा अन्य प्रसिद्ध 'निजी' क्षेत्र के संगठनों को आंकड़े एकत्रित करने वाली एजेन्सियों के रूप में नियुक्त किया जाए।

14.2.75 चर्चा का अन्य पक्ष है कि सरकार लोगों के जीवन से जुड़े अधिक से अधिक पहलुओं पर आंकड़े एकत्रित करने के अपने प्राथमिक कर्तव्य को त्याग नहीं सकती है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि निजी एजेन्सियां आंकड़े एकत्रित करने में पक्षपात नहीं करेगी, कि ऐसे आंकड़ों की गुणता की जांच मुश्किल होगी और अंत में इन एजेन्सियों की क्षमता संदेहास्पद हो सकती है।

14.2.76 चूंकि निजी कंपनियों द्वारा आंकड़े एकत्रित करने का मामला जटिल और महत्वपूर्ण है, आयोग यह सिफारिश करता है कि प्रस्तावित एनसीएस समय समय पर इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश तैयार करेगी। तब तक सरकार से इतर केंद्र एवं राज्य सांख्यिकीविदों तथा विशेषज्ञों की एक समिति भारत में किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करवाए जाने से पूर्व सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करेगी।

अनुबंध-2.2

परामर्शी सेवा स्कंध की मुख्य विशेषताएं

संचालन समिति की रिपोर्ट में प्रस्तावित परामर्शी सेवा स्कंध की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं-

(1) प्रस्तावित परामर्शी समिति को एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित किया जाए जिसका नाम 'स्टेट इंडिया लि.' अथवा स्टेटिस्टिक इंडिया हो और इसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय हो तथा वह वाणिज्यिक तर्ज पर कार्य करे और मॉनीटरिंग, सूचना/ आंकड़ों की गुणवत्ता और सम्पूर्ण पैकेज समाधान इस का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

(2) इसके लिए 50 करोड़ रू. की पूंजी प्राधिकृत की जाए क्योंकि यह प्रत्याशित है कि पांच वर्षों में यह इस सीमा छू सकती है । प्रदत्त पूंजी 30 करोड़ रू. हो सकती है। शुरूआत में सरकार कम्पनी का 100% शेयर धारित करेगी उसके बाद की अवस्था में जब अन्य कम्पनियां लाभ कमाना शुरू कर देती है तो कम्पनी के शेयरों की (इनीशियल पब्लिक ऑफर) के रूप में सार्वजनिक ऑफर करके विनिवेश कर सकती है।

(3) प्रस्तावित कम्पनी का मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ निजी क्षेत्र/स्वायत्त निकायों की वाणिज्यक आधार पर संभावनाओं का उपयोग करते हुए, उसके भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के द्वारा भारत तथा विदेश में सांख्यिकीय सर्वेक्षणों / अध्ययनों किए जाने के लिए इसके ग्राहकों और हित धारकों को उपयोगिता उन्मुखी सेवाएं एवं समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना होगा।

(4) प्रस्तावित कम्पनी सांख्यिकीय सर्वेक्षण आयोजित करने के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता का विकास करेगी और सांख्यिकीय प्रचालनों और गुणता नियंत्रण का प्रबंधन करेगी; जबकि किसी भी परियोजना का प्रारंभ प्रस्तावित कम्पनी की सूची में सूचीबद्ध निजी कम्पनियों/स्वायत्त निकायों द्वारा किया जाएगा। प्रस्तावित कम्पनी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपना मार्जिन रखेगी।

(5) प्रस्तावित कम्पनी में जोरदार बाजार रणनीति के माध्यम से व्यवसाय में विस्तार के लिए योजना बनाने हेतु मार्किटिंग विभाग भी होगा।

(6) प्रस्तावित कम्पनी के राजस्व का मुख्य स्त्रोत परामर्शी सेवाएं, तकनीकि विशेषज्ञता, और क्रेताओं द्वारा कार्य के आधार पर ली जाने वाली सांख्यिकीय सर्वेक्षण परियोजनाएं होंगी। हालांकि यदि प्रस्तावित कम्पनी केंद्र सरकार स्तर

पर रिपोर्ट किए गए उपलब्ध व्यापार की 25 प्रतिशत सीमा निर्धारित करती है, तो भी कम्पनी का गठन व्यवहार्य होगा।

(7) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय विभिन्न देशों जैसे सार्क देशों, अफ्रीकी देशों, और लेटिन अमेरिकन देशों के साथ सांख्यिकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं की तलाश कर रही है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मंगोलिया तथा अफगानिस्तान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। भविष्य में और अधिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। प्रस्तावित कम्पनी को इन देशों में एक लाभप्रद बाजार मिल सकता है।

(8) प्रस्तावित कम्पनी का 23.27 करोड़ रू. के कुल व्यय अनुमानित है (कार्मिक व्यय 11.21 करोड़ रू., प्रशासनिक व्यय 5.07 करोड़ रू अन्य व्यय 6.99 करोड़ रू) ।

(9) प्रस्तावित कम्पनी से इसके प्रारंभ से ही राजस्व सृजित करने की प्रत्याशा की जा रही है। यह आशा की जाती है कि 5वें वर्ष तक इसकी फंडिंग का 50 % पूरा हो जाएगा। दसवें वर्ष से व्यय के दृष्टिकोण से पूर्णतया स्वतंत्र हो जाएगी । प्रस्तावित कम्पनी की शुरूआत करने के लिए प्रारंभिक राशि (पहले तीन वर्षों में 30 करोड़ रू.) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वास्तविक तथा वित्तीय निष्पादनों की समीक्षा करने के उपरांत बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से वार्षिक आधार पर दिया जाना चाहिए ।

(10) संबंधित मंत्रालयों/ विभागों की अनुमोदित प्रक्रिया में विलम्ब तथा अर्हता प्राप्त व्यावसायियों (विशेष तौर पर सांख्यिविदों) की कमी कुछ मुख्य जोखिम कारक है।

अध्याय-3

सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

पृष्ठभूमि

3.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) ग्राहकों द्वारा खरीदी गई मदों पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव को मापने का संकेतक है। श्रम ब्यूरों औद्योगिक श्रमिकों (इसके बाद इन्हें सीपीआईडब्ल्यू कहा गया है) के लिए इससे पहले आधारवर्ष 1982, तथा वर्तमान में 2001 के आधारवर्ष पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मासिक आधार पर तैयार करता आ रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) की गणना करने के लिए भारत सरकार में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी तथा 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार सीपीआई-आईडब्ल्यू का बारह माह की मूविंग औसत का उपयोग किया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और कुछ अन्य संगठन उनके कर्मचारियों के भत्ते को विनियमित करने के लिए सीपीआई-आई डबल्यू का प्रयोग कर रहे हैं। मुद्रास्फीति के कारण कर्मचारियों के मूल वेतन के वास्तविक मूल्य में अपक्षरण को सुरक्षित रखने के लिए महंगाई भत्ता देने का प्रयोजन रखा गया है।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें

3.2 छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग) को सरकारी कर्मचारियों की एक खपत बास्केट रिप्रजेंटेटिव का निर्माण करने तथा एक पृथक सूचकांक तैयार करने के लिए विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों को कवर करते हुए एक विशिष्ट सर्वेक्षण की संभावनाओं को तलाशने के लिए कहा जाए। छठे वेतन आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से सूचकांक देने का प्रमुख कारण यह था कि सीपीआई-आई डब्ल्यू में केवल विशिष्ट केंद्र और सैक्टर तथा दिल्ली में कार्यरत श्रमिक वर्गों की परिवार आय तथा व्यय के इस श्रेणी के 50 प्रतिशत परिवार कवर होते हैं जिनकी आय सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम आय से कम थी ।

व्यय विभाग से प्राप्त संदर्भ

3.3 छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 21.10. 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या -1(3)/2008-ई-।।(बी) प्राप्त हुआ है जिसमें छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते

तथा अन्य भत्तों को विनियमित करने के लिए एक अलग सूचकांक संकलित करने के लिए कहा गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मामले को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को सौंप दिया ।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा जांच

3.4 व्यय विभाग के उपर्युक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने व्यय विभाग, डीजीईटी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) और श्रम ब्यूरो से प्राप्त समीक्षाओं, सुझावों तथा प्रासंगिक इनपुट्स पर विचार किया।

3.5 व्यय विभाग ने अपने 24 अप्रैल 2009 के पत्राचार संख्या-1(3)/2008-ई-।।(बी) के द्वारा 1 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों की समूह-वार तथा स्थिति-वार अनुमानित संख्या की सूची प्रेषित की। विभाग ने अपने पत्राचार में यह भी कहा कि उनकी वेतन अनुसंधान इकाई स्थापनाओं की स्थिति वार संख्या एकत्रित नहीं करती है। कर्मचारियों की स्थिति-वार आवंटन करने के उद्देश्य से डीजीईटी द्वारा आयोजित केंद्र सरकार कर्मचारियों की गणना के परिणामों का संदर्भ लिया गया था

3.6 एनएसएसओ अपने दिनांक 18 नवंबर 2008 के पत्राचार संख्या एम-12011/17/2006-एनएसएसओ (सीपीडी) के माध्यम से कहा है कि जैसा कि सरकारी कर्मचारी शहरी केंद्रों में करीब-करीब केंद्रित और फैले हुए हैं सीएसओ द्वारा संकलित की जा रही सीपीआई शहरी (सीपीआईयू) को अधिक संख्या में आवश्यकतानुसार मदों को कवर करने की संभावना के साथ सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी करने का निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। एनएसएसओ ने यह भी सुझाव दिया कि किसी पृथक सर्वेक्षण आयोजित किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

3.7 श्रम ब्यूरो ने अपने दिनांक 24 फरवरी 2009 के पत्र संख्या 115/1/2009-सीपीआई के द्वारा अपना मत प्रस्तुत किया है कि सीपीआईयू सामान्य शहरी जनसंख्या को कवर करता है और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को कवर करने की सीमा ज्ञात नहीं होती है। श्रम ब्यूरो ने यह भी कहा है कि आधार वर्ष 2001 के साथ सीपीआई-आईडब्ल्यू का संकलन 78 उद्योगिक केंद्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी श्रमिकों जो कि वृक्षारोपण, खनन और रोजगार के सात क्षेत्रों, जिसमें अधिकतर रेल सैक्टर के श्रमिक हैं जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, से डेटा एकत्रित करके किया जाता है। श्रम ब्यूरो के अनुसार यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के गठन की तर्ज पर ही है क्योंकि अधिकांश कर्मचारी (90% से अधिक) ग्रुप 'डी' और ग्रुप 'सी' श्रेणियों से संबंधित है। श्रम ब्यूरो ने यह भी सुझाव दिया कि जब तक राष्ट्रीय

सांख्यिकी आयोग केंद्र सरकार कर्मचारियों के संबंध में विशेष क्षेत्रवार सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए एक विचार बनाता है, तथापि जो मौजूदा सूचकांक श्रृंखला में गुणा कर दिया जाता है अत: सीपीआई-आईडब्ल्यू केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहतर प्रतिनिधि सूचकांक है।

3.8 सीएसओ ने अपने दिनांक 19 नवंबर 2008 के पत्राचार सं. एम-13011/5/2008-पीसीएल-राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा सभी संगत पहलुओं को कवर करते हुए एक विस्तृत नोट प्रेषित किया। नोट में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए गए हैं

(1) डीजीईटी द्वारा आयोजित केंद्र सरकार के कर्मचारियों की गणना मंत्रालय वार और समूह वार ब्यौरों के साथ केंद्र सरकार के अंतर्गत कुल नियमित कर्मचारियों को आकार प्रदान करती है।

(2) जनगणना के एक विशेष खंड के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने के लिए (वर्तमान मामले में केंद्र सरकार के कर्मचारी) विशेष खंड को कवर करते हुए एक विशेष परिवार बजट और बाजार सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता है। इसमें शामिल लागत पर विचार करते हुए ऐसे सर्वेक्षण सामान्यत: नहीं किए जाते हैं अथवा कभी-कभी किए जाते हैं।

(3) सीपीआई-आईडब्ल्यू के मामले में वर्ष 1981-82 के दौरान किया गया औद्योगिक श्रमिकों की पारिवारिक आय एवं व्यय सर्वेक्षणों लगभग 18 वर्षों के अंतराल के बाद 1999-2000 में किया गया था।

(4) अतः यह आवश्यक है कि नियमित रुप से किए गए सर्वेक्षणों से उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करते हुए खपत प्रतिदर्श तैयार करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाए। इसके अतिरिक्त व्यय प्रतिदर्श विशेषकर शहरी क्षेत्रों में व्यापक/मुख्य रूप से आय पर निर्भर करते हैं व्यवसाय पर नहीं।

(5) सीएसओ देश के 310 चुने हुए शहरों से आंकड़े एकत्रित करके सीपीआईयू समेकित कर रहा है । इन शहरों से 1114 दर सूची (मूल्य सूची) प्राप्त की जा रही है। मूल्य सूची को बाजार की 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें गरीब (274) मध्यम (674) और समृद्ध (166) खंडो द्वारा संरक्षित है। सीपीआईयू के लिए अपने मापने के प्रतिदर्श राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 61वें दौर (2004-2005) के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आंकड़ों से लिए गए हैं। सीपीआईयू और सीपीआई-आईडब्ल्यू मापन के प्रतिदर्श भिन्न थे। सीएसओ आधार वर्ष 2010 पर राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्रों तथा अखिल भारतीय स्तर पर सीपीआईयू जारी कर रहा है।

(6) मापन डायग्राम की व्युत्पत्ति में एनएसएस के सीईएस आंकड़ों के उपयोग से प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार सीपीआई श्रृंखला को संशोधित करने को सुकर बनाएंगे। स्वयं

के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए लगाया गया किराया भी कुल उपभोग व्यय में शामिल है।

3.9 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने एनएसएस के 61वें दौर से मद-वार औसत मासिक परिवार परिवारों के व्यय के आधार पर भिन्न भिन्न परिवारों की खपत व्यय प्रतिदर्श की जांच की। उद्योग-व्यवसाय वर्गीकरण के आधार पर पहचान किए गए सरकारी कर्मचारियों (पूर्णतया केंद्र सरकार के नहीं) से संबंधित परिवारों के उपभोग प्रतिदर्शों की भी जांच की गई । इन ब्यौरों के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने नोट किया है कि सीपीआईयू का मापन डायग्राम तथा शहरी परिवारों का मापन डायग्राम जिसमें अनुमानत: सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप विशिष्ट उद्योग समूह शामिल हैं, आपस में काफी निकट हैं। अत: राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग महसूस करता है कि सरकारी कर्मचारियों को कवर करने के लिए अलग से किसी विशेष सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा निकाला गया निष्कर्ष

3.10 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग उपलब्ध इनपुट्स के आधार पर मुद्दों की विस्तृत जांच करने के बाद निम्नलिखित नतीजों पर पहुंचा है।

I. सीपीआई-आईडब्ल्यू सात संगठित औद्योगिक क्षेत्रों में मैनुअल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला होने के नाते केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

II. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक पृथक सीपीआई संकलित करने के लिए आवश्यक होगा कि एक पृथक मापन डायग्राम बनाने के लिए उनके द्वारा संरक्षित बाजारों की पहचान करने और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं की विशेषताओं के विशिष्टिताओं के संबंध में मूल्य आंकड़े एकत्रित करने के लिए उनके परिवारों के संबंध में एक पृथक पारिवारिक आय एवं व्यय सर्वेक्षण किया जाए। इस प्रकार से प्राप्त किया गया मापन डायग्राम सीपीआईयू के संबंध में उपभोक्ता व्यय पर एनएसएस के 61वे दौर के आंकड़ों से प्राप्त किए गए मापन डायग्राम से बहुत अधिक भिन्न होने की संभावना नहीं है। बाजारों और वस्तु विशिष्टिताओं के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि सामान्य शहरी जनसंख्या की तुलना में सरकारी कर्मचारियों के लिए भिन्न है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के परिवारों के संबंध में एक पृथक पारिवार आय तथा व्यय सर्वेक्षण किए जाने के लिए इसी सर्वेक्षण के लिए ही नहीं बल्कि नियमित अंतरालों पर इसे पुनः किए जाने के लिए भी अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने होंगे। यदि श्रृंखला इंडेक्स को समेकित किए जाने की छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश का अनुपालन किया जाता है, ऐसे सर्वेक्षणों की प्रत्येक वर्ष

किए जाने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार एक पृथक सर्वेक्षण किए जाने के विकल्प का कोई औचित्य नहीं है।

III. निम्नलिखित के संदर्भ में प्रयोग किए जाने के लिए सीएसओ द्वारा एकत्रित किए गए सीपीआईयू आंकड़ों की जांच की गई (i) जिस तरीके में यह प्रकाशित किया गया अथवा (ii) सीपीआईयू भारों का उपयोग करते हुए 274 गरीब तबकों के उद्धरणों को छोड़ने के संबंध में अथवा (iii) विकल्प (ii) के अंतर्गत संकलित सूचकांकों के संबंध में भार के रूप में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या को राज्य स्तर पर बांटने उपयोग के संबंध में ऐसा देखा गया है कि सूचकांक और परिणामी मुद्रास्फीति दरें तीनों विकल्पों के अंतर्गत लगभग समान ही है ।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें

3.11 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं-

I. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पृथक सर्वेक्षण करने और सीपीआई समेकित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

II. अखिल भारत स्तर पर सीपीआईयू से प्राप्त प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी तथा 1 जुलाई के बारह मासिक सामान्य औसत सीएसओ द्वारा प्रकाशित की जा रही है जिनका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्तों तथा अन्य भत्तों को नियमित करने के लिए किया जा सकता है।

III. सीएसओ, एनएसएस के पंचवार्षिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के सर्वेक्षण आंकड़ों का उपयोग करके उससे मेल खाने सीपीआईयू के आधार वर्ष में प्रत्येक पांच वर्षों में संशोधन करेगा।

(कार्रवाई- व्यय विभाग)

3.12 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर एक विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सचिवालय द्वारा उनके 13 जुलाई 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4(23)/2008-राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा व्यय विभाग को अग्रेषित की गई थी।

अध्याय-4

एनएसएसओ मामले

पृष्ठभूमि

4.1 जैसाकि पैरा 1.6 में बताया गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को 30 अगस्त 2006 से एन एस एस ओ के भूतपूर्व शासी परिषद के कार्यों को करने का अधिदेश दिया गया। अधिदेश का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अन्य बातों के साथ साथ एनएसएसओ के प्रत्येक दौर के सर्वेक्षण के लिए विषयों का निर्धारण, प्रत्येक दौर के लिए कार्यप्रणाली तैयार करने, परिणाम प्रस्तुत करने के लिए सारणियन योजना तैयार करने और रिपोर्ट जारी करने के लिए अनुमोदन पर निणर्य ले रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने समय-समय पर कार्यकारी समूह का गठन किया है जिसमें सरकार तथा सरकार से इतर विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं तथा जो इन सभी मामलों में सहायता करते हैं । कार्यकारी समूह द्वारा तैयार किए गए और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए सर्वेक्षण दस्तावेजों का एनएसएसओ तथा भागीदार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रत्येक एनएसएस दौर में अनुपालन किया जाता है। एनएसएस दौर के लिए गठित प्रत्येक कार्यकारी समूह को कार्यकाल में एनएसएस दौर से संबंधित सभी सर्वेक्षण दस्तावेजों को तैयार करने के साथ सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रसारण, सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों तथा अनुभवों पर सेमिनार आयोजित करना भी शामिल है।

एनएसएसओ पर स्थायी समिति

4.2 एनएसएस के संबंध में समय समय पर संदर्भित किए जाने वाले सभी तकनीकी मुद्दों जिन पर एनएसएस पर कार्यकारी समूहों द्वारा जांच करना संभव नहीं होता है, ऐसे मामलों के लिए एक सदस्य की अध्यक्षता में एनएसएसओ मामलों पर 29 फरवरी 2012 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा एक स्थायी समिति गठित की गई। प्रो. शिबदास बंदोपाध्याय, सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में इनके कार्यकाल पूरा होने तक इस समिति के अध्यक्ष थे। डा. आर एन कारांदिकर और प्रो. चंदन मुखर्जी इस समिति के सदस्य थे। महानिदेशक, एनएसएसओ इस समिति के सदस्य सचिव थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी 57वीं बैठक में नोट किया कि महानिदेशक, एनएसएसओ तथा अपर महानिदेशक एनएसएसओ (एसडीआरडी) के पद रिक्त होने के कारण इस समिति के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है चूंकि महानिदेशक एनएसएसओ इस समिति के संयोजक हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यह चाहती है कि सीएसआई अथवा इसके नामित सदस्य इस समिति की बैठक का संयोजन करें। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि नई व्यवस्था के

बनने तक प्रो. शिबदास बंदोपाध्याय इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे। तदनुसार 5 फरवरी 2013 को आदेश जारी किए गए थे।

वर्तमान में कार्यरत कार्यकारी समूह

4.3 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा 71वें दौर तक एनएनएस के लिए सम्मिलित विषय निर्धारित कर लिए गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अलग से प्रत्येक दौर के लिए कार्यकारी समूह गठित कर लिए गए हैं। रिपोर्ट की समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यकारी समूह कार्य कर रहे हैं।

दौर सं.	विषय	दौर की सर्वेक्षण अवधि	कार्यकारी समूह में अध्यक्ष तथा अन्य आधिकारिक सदस्यों के नाम	कार्यकारी समूह के गठन की तारीख
68वां	उपभोक्ता व्यय और रोजगार-बेरोजगारी पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण	जुलाई 2011 से जून 2012	प्रो. ए के अधिकारी प्रो. के सुंदरम प्रो. दिपांकर कुंडू डा. सी रवि डा. इंदिरा हिर्वे	25.08.2010
69वां	पेयजल, स्वच्छता, आवासीय स्थिति (स्लम सहित)	जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012	प्रो. अमिताभ कुंदु डा. पुलकेश मैती डा. अमित चौधरी यूनिसेफ के प्रतिनिधि	20.10.2011
70वां	लैंड होल्डिंग्स पशुधन होलडिंग्स, ऋण और निवेश, किसानों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण	जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013	डा. ए वैद्यनाथन डा. सुच्चा सिंह गिल प्रो. डी नरसिंह रेड्डी, डा. यू सी सूद, डा. सुशांत कुमार नायक	7.2.2012
71वां	सामाजिक उपभोग जिसमें 'स्वास्थ्य और रूग्णता' तथा 'शिक्षा' एवं राष्ट्रीय लेखों के समेकन में प्रयोग होने वाली दरों और अनुपात को अद्यतन करने के लिए अध्ययनों के प्रकार तथा आई सी टी का उपयोग	जनवरी से जून 2014	प्रो. राजीव करांदीकर, प्रो. जनध्याला बी.जी. तिलक, डा. फौजदार राम प्रो. प्रसनता पाठक डा. अरिदंम चक्रवर्ती	13.12.2013

4.4 प्रो. शिबदास बंदोपाध्याय, सदस्य राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को उपर्युक्त कार्यकारी समूह में उनके कार्यकाल पूरा होने तक आमंत्री के रूप में शामिल किया गया था।

सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा जारी किए गए आंकड़े

4.5 वर्ष 2012-13 के दौरान एनएसएसओ ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अनुमोदन से एनएसएस के 66वें दौर के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित ग्यारह रिपोर्टें जारी की।

(जुलाई 2009- जून 2010) और एनएसएस 67वें दौर (जुलाई 2010- जून 2011)

1. भारत में अनिगमित गैर कृषि उद्यमों के सर्वेक्षण के मुख्य परिणाम (निर्माण को छोड़ते हुए)
2. खाना पकाने तथा लाइटिंग के लिए भारतीय परिवारों के ऊर्जा के स्त्रोत
3. भारत के सामाजिक समूहों के बीच रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति
4. सामाजिक- आर्थिक समूहों के बीच परिवार उपभोक्ता व्यय
5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा घरेलू उपयोग के अन्य स्त्रोत
6. भारत में अनिगमित गैर कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) की प्रचालनात्मक विशेषताएं
7. भारतीय परिवारों में खाद्यान्नों के खपत की महसूस की गई पर्याप्तता
8. भारत में घरेलू कामगार
9. भारत में अनिगमित गैर कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) की आर्थिक विशेषताएं
10. घरेलू कर्तव्यों के साथ महिलाओं की विशिष्ट क्रियाकलापों में भागीदारी
11. भारत में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति

4.6 एनएसएस 67वें दौर (जुलाई 2010-जून 2011) के अनिगमित गैर कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) के संबंध में अनुसूची सं. 2.34 के ईकाई स्तरीय आंकड़े एनएसएसओ द्वारा जारी कर दिए गए हैं।

एनएसएस के 68वें दौर में प्रयोग की गई सार शीट के नतीजे

4.7 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली के अनुसार एनएसएस के 68वें दौर के संबंध में डाटा एकत्रित किए जाने का कार्य जून 2012 को पूरा किया गया था। उपभोक्ता व्यय पर उप-दौर वार डाटा के शीघ्र समेकन को सुकर बनाने के लिए इस दौर के उपभोक्ता व्यय अनुसूची में प्रयोगात्मक आधार पर एक सार शीट प्रस्तुत की गई। त्वरित समेकन का उद्देश्य एमपीसीई का प्रांरभिक वितरण उपलब्ध कराना है।

4.8 एनएसएसओ ने सार शीट डाटा तैयार कर लिया है और इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 51 वीं बैठक में प्रस्तुत कर दिया था। डाटा वांछित गुणता का था । इस बैठक में प्रस्ताव किया कि सार शीट के परिणामों को उपभोक्ता व्यय के त्वरित अंनतिम अनुमानों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को ड्राफ्ट परिणामों को परिचालित करने और उनके मत लेने के उपरांत 68वें दौर की पहली दो तिमाहियों के अंतिम परिणाम तथा अंतिम दो तिमाहियों के अंनतिम परिणाम जारी किए जांएगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 54वीं बैठक में अपर महानिदेशक, एनएसएसओ (एस डी आर डी) ने रिपोर्ट किया कि एनएसएस के 68वें दौर के सार परिणाम जारी कर दिए गए हैं।

एनएसएस 69वें दौर के लिए कार्यप्रणाली का अनुमोदन

4.9 एनएसएस के 69वें दौर के कार्यकारी समूह द्वारा तैयार की गई कार्यप्रणाली इसकी 49वीं बैठक में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के समक्ष रखी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में मालिकों द्वारा अधिकृत परिवारों के संबंध में घर का किराया देने से संबंधित मुद्दे के संदर्भ में यह नोट किया कि प्रो. पुलकेश मैती की अध्यक्षता में 69वें दौर कार्यकारी समूह की उपसमिति इस मामले की जांच कर रही है। एनएसएसओ ने दिल्ली में मार्च 2012 को प्रशिक्षकों के लिए अखिल भारतीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जिसमें एनएसएसओ तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने कार्यप्रणाली पर प्रशिक्षण दिया। तत्पश्चात आंकड़े एकत्रित करने वाले फील्ड स्टॉफ को प्रशिक्षण देने के लिए विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण कैंपों (आर टी सी) आयोजित किया।

4.10 क्षेत्रीय प्रशिक्षण कैम्प आयोजित किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की।

(क) एकरूप अवधारणाओं/ परिभाषा/ अनुदेशों और स्पष्टीकरणों के उपयोग एवं गैर-प्रतिदर्श त्रुटियों को कम करना सुनिश्चित करने के लिए एनएसएसओ के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा केंद्र और राज्य के स्टाफ के लिए एक संयुक्त आर टी सी (क्षेत्रीय प्रशिक्षण कैम्प) आयोजित किया जाए। आर टी सी की अवधि कम से कम 4 दिन होनी चाहिए जिसमें दो दिन गहन प्रशिक्षण, एक दिन फील्ड दौरों और एक दिन समाधान के लिए होगा। प्रत्येक जिला सांख्यिकीय कार्यालय से दो अधिकारी आमंत्रित किए जाएं। प्रशिक्षण विशेष रूप से स्थानीय भाषा में दिया जाए। राज्य डी ई एस एएनएसएसओ के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित आर टी सी की तर्ज पर कम से कम चार दिन के लिए जिला स्तर पर आरटीसी आयोजित करे।

(ख) एनएसएसओ के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित आरटीसी की संयुक्त समीक्षा में डीईएस से भी कुछ अधिकारी आमंत्रित किए जाएं। इसे फील्ड कार्य करते समय उनके द्वारा सामना की गई संकल्पनात्मक समस्याओं पर समान स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए केंद्र तथा राज्य के फील्ड इंवेस्टीगेटरों की सुविधा प्रदान करने के लिए पहले कुछ सैंपलों का कार्य पूरा किए जाने के तत्काल बाद ही आयोजित किया जाना चाहिए। राज्य डीईएस भी अपने जिला स्तर के पदाधिकारियों के सहयोग से इसी प्रकार आरटीसी समीक्षा की जानी चाहिए।

4.11 आंकड़ा एकत्रित किए जाने के बाद एनएसएसओ तथा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों से यह आशा की जाती है कि वे डाटा प्रोसेस करके रिपोर्ट जारी करें। एनएनसी ने इस तथ्य को समझा कि एनएसएसओ द्वारा इसके द्वारा कवर किए गए गांवों और शहरी ब्लॉकों (केंद्रीय प्रतिदर्शों के रूप में जाने जाते हैं) तथा राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कवर किए जाने वाले गांवों तथा शहरी ब्लॉकों के डाटा एकत्रित करना, प्रोसेसिंग तथा रिपोर्ट/ डेटा एक ही समय पर जारी किए जाते हैं ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके तथा उपराज्य स्तर के अनुमान प्राप्त करने के लिए दोनो एजेन्सियों द्वारा प्राप्त अनुमानों को पूलिंग सुविधा प्रदान की जा सके।

70वें एनएसएस दौर के लिए कार्यप्रणाली का अनुमोदन

4.12 70वें दौर के कार्यकारी समूह ने सर्वेक्षण के लिए कार्यप्रणाली तैयार की। कार्यप्रणाली के आधार पर उक्त दौर के लिए अखिल भारतीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सितम्बर 2012 में किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 57वीं बैठक में 70वें दौर के कार्यकारी समूह के अध्यक्ष प्रो. ए वैद्यनाथन द्वारा तैयार की गई कार्यप्रणाली में किए गए सुधारों के बारे में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को बताया।

एनएसएस के आगामी दौरों के लिए शामिल किया गया विषय

4.13 एनएसएस के दस वर्ष के दौरों के लिए सर्वेक्षण अवधि तथा शामिल किए जाने वाले विषयों पर 72वें एनएसएस दौर तक (सर्वेक्षण अवधि : जुलाई 2014 - जून 2015) पहले ही निर्णय ले लिया गया था। इसके अनुसार 68वें दौर के लिए शामिल किए जाने वाले विषय निर्धारित नहीं किए गए थे, इसे उपभोक्ताओं की मांगों को समायोजित करने के लिए इसे खुला रखा गया था तथा 72वें दौर का उपभोक्ता व्यय, रोजगार एवं बेरोजगार पर पंच वर्षीय

सर्वेक्षण के रूप में निर्णय लिया गया था उसके उपरांत 66वे दौर में उपभोक्ता व्यय, रोजगार तथा बेरोजगार पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया क्योंकि ऐसा माना गया था कि 66वां दौर सर्वेक्षण अवधि 2009-10 एक सामान्य वर्ष नहीं था। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए 72वें दौर के लिए विषय कवरेज पर एक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

4.14 एनएसएस के आगामी दौरों के लिए शामिल किए जाने वाले विषयों के संबंध में निर्णय लिए जाने के मुद्दों पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 50वीं, 55वीं तथा 57वीं बैठक में विचार किया गया था। ऐसा महसूस किया गया कि 66वां दौर दोहराए जाने के कारण उपभोक्ता व्यय, रोजगार एवं बेरोजगारी पर 68वां एनएसएस दौर पंचवार्षिक दौर होने के नाते इन्हीं विषयों पर पंचवर्षीय दौर के रूप में 72वें दौर रखा जाना आवश्यक नहीं है। इसके स्थान पर यह सलाह दी जाती है कि 72वें दौर में कुछ अन्य विषयों पर सर्वेक्षण किया जाए तथा 74वां दौर पंचवार्षिक दौर हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि उपभोक्ता व्यय, रोजगार तथा बेरोजगार पर अगला पंचवार्षिक दौर 72वे दौर के स्थान पर 74वां दौर होगा।

4.15 आगामी दस वर्ष के चक्र में कलर किए जाने वाले विषयों के संबंध में यह महसूस किया गया है कि कुछ विषय दोहराए जा रहे हैं, ऐसा आवश्यक है केवल उन्हीं विषयों को निर्धारित किया जाए जिसके लिए स्लॉट उपलब्ध होंगे। एनएसएसओ को मंत्रालयों से पहले से ही कुछ मांगे प्राप्त हुई है। डा. एन एस शास्त्री ने सांख्यिकीय लेखा परीक्षा पर अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि असंगठित क्षेत्रों पर प्रत्यावर्ती वर्षों में अनुवर्ती उद्यम सर्वेक्षण किया जाए । राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के उदाहरण पर एनएसएसओ ने केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य / संघ राज्यक्षेत्रों प्रदेशों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और योजना आयोग से एनएसएस में कवर किए जाने वाले विषयों के बारे में सुझाव मांगे है। उनमें से प्राप्त कुछ विषयों को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा नोट कर लिया गया है।

4.16 अपर महानिदेशक, सीएसओ (एनएडी) ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को रिपोर्ट किया कि राष्ट्रीय लेखों पर सलाहकार समिति राष्ट्रीय लेखों को समेकित करने में प्रयोग होने वाली दरों और अनुपातों को आवधिक रूप से अद्यतन करने के लिए एक कैलेण्डर विकसित करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने यह भी बताया कि अगले एनएसएस दौरों के आगामी चक्र को निर्धारित करने लिए एक कैलेन्डर एक महत्वपूर्ण निविष्टि होगी। सीएसआई का यह मत था कि अन्य घटकों का घटकदल जैसे कि रोजगार-बेरोजगारी पर आवधिक/ तिमाही आंकड़ों की अपेक्षा उपभोक्ता व्यय तथा अन्य मांगों पर एक छोटा दौर तैयार किए जाने की आवश्यकता है और सरकार तथा सरकार के बाहर जिसमें योजना आयोग शामिल है, से उपभोक्ताओं से

विशिष्ट विचार प्राप्त करने के लिए एनएसएसओ द्वारा एक प्रश्नावली तैयार की जानी आवश्यक है। एनएसएसओ मामलों पर स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रो. शिबदास बंदोपाध्याय ने रंगाराजन आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया और कहा कि एनएसएसओ की गतिविधियों के कैलेन्डर में कार्यप्रणाली संबंधी अध्ययन भी जोड़े जाए कि इस प्रयोजन के लिए एक यूनिट की स्थापना की जाए और यह यूनिट स्थायी समिति के निरंतर सम्पर्क में रहें।

एनएसएस में जनसंख्या का कम अनुमान लगाया जाना

4.17 एनएसएस में जनसंख्या के कम अनुमान लगाए जाने से संबंधी मुद्दे का विगत में डा. बिमल राय, श्री एस के सिन्हा एनएसएसओ के पूर्व महानिदेशक, एनएसएसओ (एसडीआरडी) और आरजीआई तथा एनसीएईआर प्रतिनिधियों वाले अधिकारियों की समिति द्वारा अध्ययन किया गया ।

4.18 बिमल रॉय समिति ने 61वें दौर के आंकड़ों के आधार पर मुद्दे का अध्ययन किया। तदुपरांत एनएसएसओ (एस डी आर डी) ने 64वें दौर के परिगणकों के आधार पर मुद्दे का अध्ययन किया। ऐसा महसूस किया गया है कि शहरी क्षेत्रों के संबंध में कम आकलन की मात्रा एक संकेतक अनुपात हो। एन एस एस ओ ने रिपोर्ट किया है कि शहरी क्षेत्रों में एनएसएस में जनसंख्या के कम अनुमानन के मुद्दे का समाधान करने के लिए शहरी फ्रेम सर्वेक्षण (यू एफ एस) 2007- 12 के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के माध्यम से उनके द्वारा उपाय किए गए है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी 52वीं बैठक में इस मुद्दे पर हुई प्रगति की समीक्षा की।

एनएसएस में राज्य की भागीदारी

4.19 एनएसएस के प्रत्येक दौर में सर्वेक्षण के लिए चुने गए गांवों और शहरी ब्लॉकों को दो सैटों के रूप में तैयार किया गया है, एनएसएसओ द्वारा सर्वेक्षण किए जाने वाले प्रतिदर्शों को ''केंद्रीय प्रतिदर्श'' और राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा सर्वेक्षण किए जाने वाले प्रतिदर्शों को ''राज्य प्रतिदर्श'' कहा है। इसलिए एनएसएस में राज्य की भागीदारी एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

4.20 केंद्र और राज्य एनएसएस प्रतिदर्शों पर आंकड़ों के दो डेटासैट प्रदान करते हैं। इन दोनों आंकड़ों स्त्रोतों का स्वतंत्र उपयोग करके राज्य स्तर पर उचित अनुमान तैयार करना संभव होगा। तथापि उप-राज्य स्तर पर अनुमान सृजित करने के लिए इन दोनों डेटा सैटों को एक साथ उपयोग में लाना आवश्यक है। यह प्रक्रिया ''पूलिंग ऑफ डेटा'' कहलाती है। इससे एनएसएसओ तथा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक एनएसएस एक ही समय तथा एक ही

तर्ज पर आयोजित करना होगा । और अपने आंकड़े लगभग एक साथ ही जारी करना अनिवार्य हो जाएगा। अक्सर यह देखा जाता है कि दोनों डेटा सैट एक ही समय पर तैयार नहीं होते थे।

4.21 प्रो. आर. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की एक व्यावसायिक समिति द्वारा डेटा पूलिंग के मुद्दे की विस्तृत जांच की गई। समिति की रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई। समिति की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया था। मामले की राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी 56वीं बैठक में पुन: समीक्षा की। एनएसएसओ (डीपीडी) ने डाटा पूलिंग पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को एक नोट प्रस्तुत किया। इस बैठक में यह भी बताया गया कि उड़ीसा तथा बिहार के संबंध में 66वे एनएसएस दौर का राज्य प्रतिदर्श डाटा, पूलिंग के लिए तैयार है। एनएसएस में राज्य की प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के संबंध में सीएसआई ने इस बैठक में रिपोर्ट किया कि प्रथम चरण में उन राज्यों को पूरा सहयोग दिया जाएगा जो राज्य प्रतिदर्श डाटा प्रोसेस कर रहे हैं और तदुपरांत शेष राज्यों को अनुभव प्रदान किया जाएगा।

एनएसएसओ की अनुसूची तैयार करने में आंकड़ों के प्रयोग करने में प्रगति

4.22 एनएसएस में दो चरण सैम्पलिंग डिजाइन का अनुपालन किया जा रहा है, जहां प्रथम चरण की ईकाइयां गांव/ शहरी ब्लॉक है और दूसरे चरण में चयनित परिवार/ प्रत्येक गांव/ शहरी ब्लॉक के उद्यम हैं। परिवारों/उद्यमों का यचन करने के लिए एक सूची तैयार की जाती है और प्रत्येक चयनित गांव/शहरी ब्लॉक में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी एकत्रित की जाती है। इस प्रक्रिया के लिए एक ''लिस्टिंग शैड्यूल'' नाम का फार्मेट प्रयोग किया जाता है। 'लिस्टिंग शैड्यूल के आंकड़े उन मदों के अलावा जिनकी आवश्यकता सैम्पलिंग मल्टीप्लायार कम्प्यूटरिंग के लिए अपेक्षित होती है उन्हें प्रोसेस नहीं किया जाता और इसलिए प्रसारित नहीं किए जाते । लिस्टंग शैड्यूल में निहित आंकड़ों और पब्लिक डोमेन में यूनिट स्तर आंकड़ों के प्रसार के माध्यम से वर्तमान में जो उपलब्ध कराए जाते रहे, उनके अतिरिक्त वो मापदंड जिनपर आंकड़े तैयार किए जा सकते है, उनको रखने की व्यवहार्यता पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि लिस्टिंग शैड्यूल में ग्रामीण सुविधाओं पर एकत्रित की गई जानकारी को तालिकाबद्ध किया जाएगा और इसे एनएसएस की रिपोर्टों में प्रस्तुत किया जाएगा। यह रिपोर्ट किया गया कि एनएसएसओ मामलों पर स्थायी समिति लिस्टिंग शैड्यूल के माध्यम से और अधिक जानकारी एकत्रित किए जाने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है जिसे पब्लिक डोमेन में रखा जा सकता है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर एक प्रायोगिक सर्वेक्षण के आयोजन में प्रगति

4.23 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के आग्रह पर एनएसएसओ द्वारा तिमाही आधार पर रोजगार तथा बेरोजगारी की जानकारी लेने के लिए तीन राज्यों में प्रायोगिक आधार पर एक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा अपनी 50वीं, 54वी तथा 56वीं बैठकों में की गई।

4.24 प्रायोगिक सर्वेक्षण के परिणामों तथा उससे प्राप्त अनुभवों की समीक्षा करने के लिए 15.6.2012 को एनएसएसओ द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। सीएसआई ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को सूचित किया कि प्रायोगिक सर्वेक्षण से निर्गत किए जाने वाले प्रमुख पैरामीटरों पर परिणामों की जांच करने के लिए एक आंतरिक समिति की स्थापना की जाएगी। उसने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को यह भी सूचित किया कि प्रायोगिक सर्वेक्षण एक और वर्ष के लिए जारी रहेगा।

एनएसएसओ (एफ ओ डी) में श्रमबल की समस्याएं

4.25 एनएसएसओ में क्षेत्र संकाय प्रभाग (एफओडी) सामाजिक आर्थिक, औद्योगिक सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी, मूल्यों और अनुमोदित कार्यक्रमों के अनुसार विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों के संबंध में सभी एनएसएसओ सर्वेक्षणों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। शहरी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों का आयोजन करने के लिए शहरी फ्रेम को अद्यतन करने के लिए भी यह उत्तरदायी है। सभी कार्यक्रम समयबद्ध है और विकासात्मक योजना बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

4.26 हाल ही में क्षेत्र संकाय प्रभाग को मुख्यत: संवर्ग संरचना, अन्य संगठनों में इसी प्रकार नियुक्त कर्मचारियों की तुलना में वेतन बैंडो में असमानता और चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के कारण विभिन्न श्रमबल संबंधित समस्याओं का सामना कर रहा है। इन मामलों को सुलझाने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई।

4.27 एनएसएसओ ने अन्वेषकों की रिक्तियों तथा भर्ती प्रक्रिया की समस्याओं पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी 50वीं बैठक में नोट पर विचार किया । एनएसएसओ (एफ ओ डी) के प्रभारी अपर महानिदेशक ने इस बैठक में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया ।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने मामलों पर विचार विमर्श किया और मामले को उच्चतर स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया।

4.28 उपर्युक्त निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं. 1/2/2009-राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग दिनांक 27 जुलाई 2012 के माध्यम से बताया कि एनएसएसओ पिछले दस वर्षों से अनेक प्रशासनिक समस्याओं का सामना कर रहा है जो इसके द्वारा आंकड़े एकत्रित करने में गुणवत्ता तथा समय उचितता को प्रभावित कर रहा है। चूंकि ये देश के आधिकारिक सांख्यिकीय आधार की विश्वसनीयता से संबंधित है, अध्यक्ष ने अपने पत्र में समस्याओं तथा उनके संभावित समाधानों पर एक नोट प्रस्तुत किया नोट अनुबंध-4.। पर दिया गया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें

4.29 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने उपर्युक्त मुद्दों पर निम्नलिखित सिफारिशें की

(1) एनएसएस के 69वें दौर के आगे से प्रत्येक तिमाही के लिए प्रमुख पैरामीटरों के संबंध में अनंतिम परिणाम एक नए उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किए जाएं। इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से एक समर्पित वैब पोर्टल सृजित किया जाए ताकि एफओडी वैब पोर्टल के माध्यम से सार डाटा डीपीडी/एसडीआरडी को आगे प्रोसेसिंग तथा प्रचार के लिए प्रस्तुत कर सके।

(2) 69वें दौर के कार्यकारी समूह द्वारा तैयार की गई कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(3) पैरा 4.10 में उल्लिखित आरटीसी के आयोजन की सिफारिशों का एनएसएसओ तथा राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एनएसएस के 69वें वे दौर के अनुसरण किया जाए।

(4) एनएसएसओ के लिए एनएसएस 69वें दौर के कार्यकारी समूह द्वारा तैयार की गई कार्य योजना को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय पर रिपोर्ट/ डाटा जारी करने तथा केंद्र तथा राज्य प्रतिदर्शों की पूलिंग को सुकर बनाने के लिए राज्य प्रतिदर्शों के संबंध में उसमें दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी आधिकारिक तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए अनुरोध भी किया जाए।

(5) एनएसएस के 70वें दौर के कार्यकारी समूह द्वारा तैयार की गई कार्य प्रणाली को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(6) एनएसएसओ का अगला दस वर्षीय साइकल 72वें दौर से प्रारंभ होगा और उपभोक्ता व्यय तथा रोजगार एवं बेरोजगारी पर अगला पंचवर्षीय दौर 74वें दौर में लिया जाएगा। एनएसएस के अगले दस वर्षीय साइकल में लिए जाने वाले विषयों के संबंध में एनएसएसओ विशेषकर शैक्षिक विशेषज्ञता रखने वाले तथा सरकार से इतर उपयोगकर्ताओं के साथ मुद्दे पर व्यापक परामर्श करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करे।

(7) एनएसएसओ द्वारा अपनाई गई कामचलाउ व्यवस्था के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एनएसएसओ द्वारा एनएसएस के 68वें दौर के सार आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या अनुमान तैयार करें।

(8) एनएसएस के केंद्रीय तथा राज्य प्रतिदर्शों की पूलिंग के संबंध में

(क) एनएसएसओ (डीपीडी) द्वारा डाटा पूलिंग पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का समन्वय किया जाए।

(ख) आरंभ में एनएसएसओ द्वारा उड़ीसा और बिहार दो राज्यों की पूलिंग कार्रवाई कर सकता है;

(ग) उड़ीसा तथा बिहार के डाटा पूलिंग पर प्राप्त अनुभव का उपयोग करते हुए, अन्य राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को कवायद अपनाने के लिए डीपीडी द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की जाए।

(घ) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को सुग्राही बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न समूहों के लिए अलग से कार्यशाला आयोजित की जाए, इन समूहों का निर्धारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी तैयारी के आधार पर किया जाए।

(ङ) एनएसएस में राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर हुई प्रगति के बारे में समय समय पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को सूचित किया जाए।

(9) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग संदर्भ पैरा 4.28 के नोट में दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय कर सकता है।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

अनुबंध-4.1

एनएसएसओ (एफओडी) में कुछ प्रशासनिक समस्याएं तथा उनके संभावित समाधान

****

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) का प्रचालन चार प्रभागों नामत: सर्वेक्षण अभिकल्प तथा अनुसंधान प्रभाग (एसडीआरडी), क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी), संमक विधायन प्रभाग (डीपीडी) और समन्वय एवं प्रकाशन प्रभाग (सीपीडी)/ एफओडी अपने फील्ड कार्यालयों में स्थित फील्ड कर्मचारियों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक आंकड़े एकत्रित करता है, जो योजना बनाने तथा नीति तैयार करने के लिए अपेक्षित होता है।

<u>स्थानीय भाषा के ज्ञान की कमी</u>

2. एफओडी के फील्ड पदाधिकारी अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) से संबंध रखते है। एसएसएस में दो ग्रेड हैं नामत: ग्रेड-। तथा ग्रेड-।। । ग्रेड-। के अधिकारी को ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे कि वे संगठित सैक्टरों से आंकड़े एकत्रित करते हैं और राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के कृषि संबंधी आंकड़ों का पर्यवेक्षण करते हैं। ग्रेड-।। अधिकारी अधिकाशंत: परिवारों तथा छोटे उद्यमों से आंकड़े एकत्रित करते है जिसकी प्रतिक्रिया स्वैच्छिक आधार पर मांगी जाती है। एफओडी के फील्ड स्टाफ को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों जहां वे तैनात किए जाते हैं, की स्थानीय भाषा तथा रीति रिवाजों का ज्ञान होना अपेक्षित होता है।

3. ग्रेड-।। की रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती है और ग्रेड-। की रिक्तियों को ग्रेड-।। के अधिकारियों को पदोन्नत करके भरा जाता है। ग्रेड-।। अधिकारी की सीधी भर्ती परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से की जाती है जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। एसएससी ग्रेड-।। के भर्ती नियमों (आरआर) के संगत तरीके से चयन प्रक्रिया करता है। मौजूदा भर्ती नियमों में प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग से उम्मीदवारों के चयन का प्रावधान नहीं है। मैरिट लिस्ट एसएससी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर तैयार की जाती है जिसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में फील्ड कार्यालयों में स्थानीय भाषा को जानने वाले लोग नहीं मिलते हैं। जब एक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के लोग दूसरें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में तैनात किए जाते हैं तो उन्हें काम करने में कठिनाई होती है। इसलिए यही

एक कारण है कि एसएसएस के ग्रेड-।। के अधिकारियों की नौकरी छोड़ने की अधिक है।

<u>ग्रेड वेतन में भेदभाव</u>

4. एसएससी भिन्न-भिन्न संवर्गों के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित करता है जिसमें एसएसएस के ग्रेड-।। शामिल है। एसएसएस के ग्रेड-।। के आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अन्य संवर्गों में आवेदन करने वाले व्यक्तियों की तुलना में एक अतिरिक्त पेपर पर परीक्षा देनी होती है। यह रिपोर्ट किया गया था कि एसएससी द्वारा निर्धारित अतिरिक्त पेपर सांख्यिकी पर होता है और इसका कठिनाई स्तर बहुत उंचा होता है, एसएसएस के ग्रेड-।। के लिए उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या न मिलने का यह भी कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त एसएसएस के ग्रेड-।। पर लागू ग्रेड वेतन 4200 है, जबकि अन्य संयुक्त परीक्षा के अंतर्गत अन्य संवर्गों के लिए 4600 रू. है। यह नकारात्मक भेदभाव ही वास्तव में पात्र सांख्यिकी अभ्यर्थियों को एसएसएस ग्रेड-।। का विकल्प लेने से रोकते हैं।

रिक्त रिक्तियां और कान्ट्रैक्ट परिगणकों

5. वर्तमान में एफओडी में कुल आवंटित 1967 पदों में से एसएसएस के ग्रेड-।। ये लगभग 1100 रिक्तियां हैं । फील्ड कार्य राज्य स्तर पर भर्ती किए गए कान्ट्रैक्ट परिगणकों द्वारा किया जा रहा है। उनहें फील्ड कार्य करने के लिए एफओडी द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। पिछले तीन वर्षों में परिगणकों का एक ग्रुप छोटे अंतराल के साथ भर्ती किया गया और वे अभी भी ड्यूटी पर हैं।

<u>फील्ड कार्य के लिए प्रोत्साहन की कमी</u>

6. एसएसएस के ग्रेड-।। की कुल स्थिति में से 80% एफओडी में है और 20% अन्य कार्यालयों में है। 20% की नौकरी स्थायी प्रकृति की है और एफओडी में कार्यरत अधिकारी फील्ड ड्यूटी कर रहे हैं। फील्ड ड्यूटी में नियुक्त व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न प्रकार के सूचना प्रदाताओं से स्वैच्छिक आधार पर आंकड़े एकत्रित करने होते हैं। अत: उनकी ड्यूटी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और उन्हें भिन्न-भिन्न इलाकों तथा परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी करनी होती है। परंतु वेतन तथा भतों की दृष्टि से उन्हें कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

7. फील्ड निरीक्षण और एकत्रित किए गए आंकड़ों की जांच एफओडी के आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण उपाय हैं। ग्रेड-।। एसएस अधिकारियों द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाने के संबंध में ये कार्य ग्रेड-। एसएसएस अधिकारियों को दिया जाता है। परंतु ग्रेड-। एसएसएस अधिकारियों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के मामले में पर्याप्त तंत्र उपलब्ध नहीं है। एफओडी 165 फील्ड कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है जिनमें से 116 कार्यालयों में एसएसएस के ग्रेड-।। और ग्रेड-। से ऊपर का कोई अधिकारी नहीं है। इन कार्यालयों में फील्ड अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रबंधक नहीं है।

8. उपर्युक्त समस्याएं बहुत गंभीर है और यदि इनका समाधान नहीं किया जाता है तो आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की स्थिति बिगड़ सकती है।

<u>सुझाए गए समाधान</u>

9 इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव हैं-

(।) एसएसएस के ग्रेड-।। के भर्ती नियमों में सुधार किया जाना -

(क) एफओडी की अपेक्षानुसार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार रिक्तियों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों स्तर के पदों अथवा रिक्तियों का आवंटन किए जाने की आवश्यकता ।

(ख) न्यूनतम अवधि (5 वर्षों) की अधिवास की मांग को निर्धारित करने तथा एक विषय अथवा माध्यम के रूप में संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की कार्यालयी भाषा के साथ मैट्रिक स्तर की परीक्षा को संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के पदों/ रिक्तियों के तहत परीक्षा के लिए एक अनिवार्य अर्हता होनी चाहिए।

(ग) एसएससी को हमेशा की तरह अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित किए जाने की सुविधा प्रदान करना और प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के अनुसार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार मैरिट लिस्टें तैयार करना।

(घ) एफओडी के फील्ड कार्यालयों को एसएससी के लिए रिक्तियों के अधिसूचित किए जाने की अवधि तक और एसएससी द्वारा अभ्यर्थियों को ड्यूटी ज्वाइन करने की सिफारिश किए जाने तक अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अनुबंधित नियुक्तियां करने की सुविधा प्रदान की जाए।

(ii) ग्रेड-।। एसएसएस का ग्रेड वेतन 4600 रू. तक बढ़ाया जाए।

(iii) ग्रेड-।। एसएसएस अधिकारियों को 3500 रू. तथा ग्रेड-। एसएसएस के लिए 5000 रू. प्रतिमाह फील्ड भत्ता की स्वीकृति दी जाए जब वे फील्ड डसंघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

(iv) एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त परीक्षा में सांख्यिकी पर अतिरिक्त प्रश्न पत्र बी.कॉम स्तर के साख्ंयिकी पेपर के समतुल्य मानक पर तय किया जाए ताकि यह अतिरिक्त पेपर अभ्यर्थियों को आकर्षित करने में रूकावट न बन सके।

(v) एफओडी में जूनियर स्तर पर प्रत्येक तीन जिलों के लिए सहायक निदेशक का एक पद प्रदान किया जाए ताकि मानकों के अनुसार सर्वेक्षण प्रबंधन किया जा सके।

(vi) दो अथवा तीन वर्षों के अनुभव के साथ प्रशिक्षित संविदा कर्मचारी है। नियमित प्रशिक्षित परिगणकों की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए, इन परिगणकों को एक अवसर दिया जाए। एक बार के उपाय के रूप में एफओडी में कार्यरत प्रशिक्षित संविदा परिगणकों को ग्रेड-।। एसएसएस के पद के लिए एसएससी परीक्षा देने का अवसर दिया जाए। उन्हें इस प्रयोजन के लिए आयु में छूट दी जाए। उनको सेवा में लेने के लिए 30% रिक्तियों का कोटा प्रदान किया जाए। जैसाकि एफओडी ने उनको प्रशिक्षण देने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया है इस तरह एफओडी उनकी सेवाओं का नियमित आधार पर उपयोग कर सकेगा।

अध्याय-5

गुणवत्ता संबंधी मुद्दे

आईआईपी डाटा तथा ट्रेड डाटा की गुणवत्ता

5.1 वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए (2012-13) के अनुदान मांगों पर अपनी 54वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशें/ समुक्तियां निम्नानुसार है:

> *"देश में व्यापक आर्थिक आंकड़े एकत्रित करने में सुधार करने के लिए समय समय पर कदम उठाए जाते है। तथापि समिति यह नोट करने के लिए विवश है कि हालांकि आज भी इसमें बहुत कुछ वांछनीय है। हाल ही का एक उदाहरण है जनवरी 2012 का आईआईपी डाटा जिसमें संशोधन करके 6.8 प्रतिशत से 1.1 प्रतिशत किया गया। इससे मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए डाटा की विश्वसनीयता के बारे में कुछ गंभीर प्रश्न उठते हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण भारत व्यापार के आंकड़ों में हुआ जब अप्रैल अक्तूबर 2011 के निर्यात आंकड़े 8.8 बिलियन डॉलर तक कम कर दिए गए थे। समीति इस कमी पर गंभीरता से चिंता व्यक्त करती है जो न केवल सरकार को परंतु समस्त देश की खराब छवि को दर्शाता है। समीति आंकड़ों में गंभीर त्रुटियों की स्वतंत्र जांच करवाने और तीन महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा ।"*

5.2 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने संसदीय स्थायी समिति के उपर्युक्त निदेशों को नोट किया और सिफारिश की कि संबंधित कार्यालयों के रिकार्ड तथा प्रस्तुत रिपोर्ट से मामले की जांच करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने कार्य के लिए विशेषज्ञों के नामों का भी सुझाव दिया। तदनुसार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 18 मई 2012 को डा. आर बी बर्मन को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। डा. बर्मन की रिपोर्ट को 4 जुलाई 2012 को सीएसओ द्वारा प्राप्त किया गया और इस रिपोर्ट पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 52वीं तथा 56वीं बैठकों में विचार किया गया।

5.3 आईआईपी आंकड़ों में त्रुटियों के संबंध में डा. बर्मन ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ निम्नानुसार निष्कर्ष दिए:

- चीनी निदेशालय द्वारा जनवरी 2012 में 134.08 लाख टन चीनी के उत्पादन को गलत रिपोर्ट किया गया आईआईपी की स्रोत एजेन्सी विगत उत्पादन के साथ वह पूरी तरह से संरेखित नहीं थी। इस त्रुटि को सीएसओ (ईएसडी) द्वारा नहीं पकड़ा जा सका क्योंकि वे प्रतिशत भिन्नता पर आधारित आंकड़ों में शामिल बाहरी आंकड़ों की जांच करते हैं।
- कुछ ही मदें है जिसके लिए प्वाइंट -टू- प्वाइंट वार्षिक वृद्धि 100% से ऊपर पहुंच जाती है। जनवरी 2012 के लिए 179 मदों के संबंध में आंकड़ों की जांच करने पर आधारित विशेष प्रतिशत सीमाओं को पार करती भिन्नताएं महसूस की गई और इनके बारे में स्त्रोत एजेन्सियों को सूचित किया गया जिन्होने सीएसओ को डाटा उपलब्ध कराए। इनमें से 115 मदों के लिए पुष्टि प्राप्त नहीं हुई। 64 मदों के लिए संबंधित स्त्रोत एजेन्सियों द्वारा पुष्टि नहीं की गई। यह त्रुटि का एक संभाव्य स्त्रोत है जिसकी जांच की जानी आवश्यक है।
- चूंकि प्वाइंट -टू- प्वाइंट वार्षिक वृद्धि 100% को पार करना कमाबेश वृद्धि दरों के वितरण का एक नियमित घटक है, इसलिए जनवरी, 2012 में चीनी की प्वांडट टू प्वांइट वृद्धि दर 175 प्रतिशत तक पहुंचना सीएसओ (ईएसडी) द्वारा इस असाधारण नहीं समझा गया ।
- संभावित त्रुटियों की पहचान करने के लिए आंकड़ों की जांच की विधि सीएसओ (ईएसडी) द्वारा लम्बे समय से अपनाई जा रही है। उसे अपर्याप्त पाया गया। सीएसओ के पास डाटा आंकड़ों के सत्यापन पर कोई मैनुअल नहीं है।
- उत्पादक इकाईयों से प्रारंभिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए आईआईपी डाटा के लिए अन्य स्रोत एजेंसी, वनस्पति निदेशालय द्वारा प्रणाली का अनुपालन किया जा रहा है और वनस्पति निदेशालय को डाटा गुणवत्ता के संदर्भ में एक कमजोर कड़ी पाया गया था।
- कॉफी बोर्ड द्वारा अपनाए गए मासिक उत्पाद के अनुमान के प्रकार जो कि आईआईपी डाटा के लिए एक स्रोत एजेन्सी है, मासिक आधार पर आपूर्ति पक्ष के दबाव को उचित रूप से नहीं दर्शाता है।
- सीएसओ (ईएसडी) एक्सेल शीटों पर आंकड़ों का रखरखाव करता है। डाटा की एकरूपता पर लेखापरीक्षा ट्रायल प्रस्तुत करने के लिए मजबूत इन बिल्ट मैकेनिज्म को पेश करने की संभावनाओं के साथ आधुनिक रिलेशन डेटाबेस मैनेजमैंट सिस्टम (आरडीबीएमएस) की दृष्टि से काफी पीछे रह जाता है।
- आईआईपी के लिए आंकड़े एकत्रित किया जाना सीएसओ के नियंत्रणाधीन केंद्रीकृत होना चाहिए।

- उत्तरदाताओं द्वारा आंकड़े देते समय उपयोगी सत्यापन जांच प्रदान करने के लिए आंकड़े एकत्रित करने के लिए वेब आधारित प्रणाली डिजाइन की जा सकती है ताकि प्रथम चरण में ही कुछ त्रुटियों को दूर किया जा सके।
- ईमेल अथवा एसएमएस के माध्यम से स्वत: अनुस्मारक सृजित किया जाना चाहिए।
- त्रुटियों का समाधान करने के लिए कॉल सेंटरों को लागत प्रभावी तथा कुशल तंत्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

5.4 आईआईपी के संबंध में डा. बर्मन की रिपोर्ट पर उनके द्वारा की गई / प्रस्तावित कार्रवाई के ब्यौरों कोस्पष्ट करते हुए सीएसओ (ईएसडी) ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 56वीं बैठक में एक प्रस्तुतीकरण किया उनकी प्रस्तुति में सीएसओ (ईएसडी) ने अन्य बातों के साथ साथ यह भी बताया जो निम्नानुसार है-

- विगत एक वर्ष के आंकड़ों पर आधारित न्यूनतम तथा अधिकतम रेंज से आगे जाने वाले उत्पादन आंकड़ों के सही मूल्य की जांच करने तथा संबंधित स्त्रोत एजेन्सियों से असामान्य आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए डाटा मान्यकरण को संशोधित किया गया है। सभी स्त्रोत एजेन्सियों के सीएसआई स्तर पर एक अनुरोध के साथ पत्र जारी कर दिए गए थे कि वे भिन्नता स्टेटमेंट के बारे में त्वरित जवाब दे। इसके साथ सीएसओ (ईएसडी) के निरन्तर अनुवर्ती कार्रवाई को भी जोड़ दिया है जिसके परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि स्त्रोत एजेन्सियों से नियमित रूप से पुष्टियां/ स्पष्टीकरण प्राप्त हो रहे हैं।
- कुछ स्त्रोंत एजेन्सियों से प्राप्त आंकड़ों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। स्त्रोत एजेन्सियों की कुछ अपनी समस्याएं/ सीमाएं है। उदाहरण के लिए जैसाकि एक वर्ष में एक फसल की कटाई की जाती है, कॉफी बोर्ड ने निर्यातों के मासिक अनुपात के आधार पर कॉफी के मासिक उत्पादन का अनुमान लगाता है। एक कार्यशाला में कॉफी बोर्ड के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई थी। और ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके द्वारा दिए गए उत्पादन आंकड़े कॉफी के कृषि संबंधी उत्पादन से संबंधित है।
- डा. बर्मन की रिपोर्ट सहित आईआईपी से संबंधित सभी मुद्दों की जांच योजना आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में कार्यकारी समूह द्वारा की जा रही है। कार्यकारी समूह ने अपनी दूसरी बैठक में सिफारिश की कि एनएसएसओ (एफओडी) तथा कुछ अन्य स्थापित स्रोत एजेन्सियां विशेष मदों के एक समूह (जैसे चीनी, खनिज, बिजली, नमक आदि) के लिए जिनको अपने अपने क्षेत्र में बेजोड़ विशेषज्ञता प्राप्त है, की सहायता से आईआईपी आंकड़े एकत्रित करने की पूरी जिम्मेदारी सीएसओ (आईएस विंग) पर सौंपी जानी चाहिए। कार्यकारी समूह ने यह भी सिफारिश की कि आईआईपी के लिए आंकड़े सांख्यिकी संग्रहण अधिनयम 2001 के अंतर्गत एकत्रित किए जाएंगे और एलीमेंट्री

यूनिटों (फैक्ट्री, मिल, पिट्स आदि) द्वारा और आकड़ें प्रस्तुत करने के लिए एक वेबपोर्टल सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों की राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ परामर्श से सीएसओ (ईएसडी) द्वारा जांच की जा रही है।

- कार्यकारी समूह के अनुमोदन से आईआईपी की नई श्रृंखला के लिए एक मैनुअल तैयार किया जाएगा।

5.5 बाह्य तथा घरेलू व्यापार के संबंध में डा. बर्मन ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें/ समुक्तियां की हैं-

- सीमा शुल्क के प्रयोजन से डाटा प्रोसेसिंग की प्रणाली बहुत जटिल है। आंकड़ों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए जांच और बैलेंस प्रक्रिया की आईसीईएस सिस्टम तक पहुंच बहुत सीमित होती है जैसी इसे होना चाहिए। तथापि आंकड़ों की गुणता की जांच करने के लिए डीजीसीआईएंडएस द्वारा किए गए आंकड़ों के सांख्यिकीय सत्यापन से नियमित रूप से कई असंगतियां उत्पन्न होती है। वर्तमान में डीजीसी आईएंड एस इन असंगतियों में से कई पत्तनों तथा निर्यातकों आदि को सुनिश्चित करता है। सीमा शुल्क प्राधिकरण ने यह महसूस किया है कि डीजीसीआई एंड एस द्वारा भिन्न-भिन्न पत्तनों को बताए जाने से जटिलता उत्पन्न होती है। डी जी सी आई एंड एस की वापिस बताने की समस्या का समाधान कैसे होगा यदि डाटा सत्यापन पद्धति के लिए नियमित आवश्यक जांच करने के लिए मेन एमआईएस उनको प्राप्त नहीं होता है। जैसाकि एमआईएस सिस्टम दिल्ली में सीमा शुल्क प्राधिकरण के परिसरों में स्थित यह सभी रेफरेन्स का सिंगल प्वाईंट होना चाहिए। डीजीसीआईएंड एस को सांख्यिकीय विशेषज्ञता के साथ अपेक्षित सिस्टम और प्रोग्रामिंग कौशलों को ध्यान में रखते हुए इसे कार्यान्वित करने पर विचार किया जाना चाहिए। सीमा शुल्क द्वारा मेन एमआईएस प्रणाली तक पहुंचने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- सीमा शुल्क द्वारा मैनुअली भेजा गया डाटा निर्यातों की मात्रा का 13.55 प्रतिशत और आयातों की मात्रा 19.17 प्रतिशत है। यह भाग लम्बित प्रोसेसिंग के कारण और ट्रांसक्रिप्शन त्रुटि के कारण है। जैसा डीजीसीआई एंड एस द्वारा उल्लेख किया गया कि स्पेशल एक्सपोर्ट जोन (एसईजैड) द्वारा किया गया निर्यात संतोषजनक है।
- वर्तमान में डीजीसीआई एंड एस द्वारा उपयोग किया जाने वाला सिस्टम 2001 में स्थापित किया गया था। उपलब्ध तकनीक में निर्बाध ड्रिलिंग डाउन, ड्रिलंग अप और ड्रिलिंग एक्रास की योग्यताओं के साथ अब व्यापक सुधार आया है। इस तकनीक का उपयोग आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस सहित एडवांस इटैलिजैंस के लिए किया जा सकता है। उदाहरणत: भारत के निर्यात गन्तव्य देशों के लिए आयात के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। विभिन्न देशों द्वारा देश-वस्तुवार आंकड़े नियमित रूप से प्रकाशित किए

जाते हैं। डीजीसीआईएंडएस द्वारा इन देशों के साथ किए गए भारत के व्यापार के आंकड़ों के सत्यापन के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए । अत: डीजीसीआईएंडएस डाटा वेयर हाऊसिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस (डीडब्ल्यूबीआई) के लिए सुविधाएं सृजित करने हेतु प्रोद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए कार्य करेगा तथा संगठन के नाम तथा पुरानी पद्धतियों को उचित बनाने के लिए एडवांसड इंटैलीजैंस का उपयोग करते हुए स्टाफ को सीमित करेगा।

- ईडीआई सिस्टम में एकत्रित किए गए आंकड़ों का बल्क डीजीसीआईएंडएस को तत्काल ही उपलब्ध हो जाता है। यह वांछनीय है कि एक साथ ही इन आंकड़ों का सत्यापन किया जाए। यह व्यापार आंकड़ों के उपलब्ध होने पर समय अंतराल को कम करने में सहायक होगा।
- समस्या के क्षेत्रों की पुनरीक्षा, सूचना सामना करना तथा कार्य समानता के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण तथा डीजीसीआईएंडएस के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। प्रभावशीलता के लिए इसे एक उपयुक्त स्तर तक होना चाहिए ।

5.6 डा. बर्मन की रिपोर्ट में उल्लिखित समुक्तियों पर किए गए/ किए जाने के लिए प्रस्तावित उपायों के संबंध में डीजीसीआईएंडएस ने एक नोट प्रस्तुत किया है तथा इस नोट पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अपनी 56वीं बैठक में विचार किया गया। डीजीसीआईएंडएस का कथन निम्नानुसार है-

- इस रिपोर्ट में दिल्ली में स्थित मेन एमआईएस सिस्टम के सभी पत्तनों के लिए रेफरेस हेतु सिंगल प्वाइंट के रूप में तथा इसके साथ ही आंकड़ों के सत्यापन हेतु डीजीसीआईएंडएस को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता का सही आंकलन किया गया। यद्यपि इस रिपोर्ट मे यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि इन सिफरिशों को कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है , यह ऐसा श्रेणीवार उल्लेख किया गया है कि इस जिम्मेदारी को उठाने वाले कथित व्यक्तियों में सिस्टम तथा प्रोग्रामिंग कौशल के साथ साथ सांख्यिकीय विशेषज्ञता भी होनी चाहिए। हम यह महसूस करते हैं कि कम्प्यूटर सैन्टर और पत्तनों से डीजीसीआईएंडएस के कोलकाता स्थित मुख्यालय के बीच संपर्कता बनाना एमआईएस सर्वर तक पहुंचने के लिए यूसर-आईडी तथा पासवर्ड देकर इस सिफारिश को कार्यान्वित करने का एक सर्वोतम तरीका है। इससे आंकड़ों के सत्यापन के लिए अपेक्षित संगत पूछताछ करने के लिए डीजीसीआईएंडएस को सक्षम बनाया जाएगा।
- आईसीईएस साफ्टवेयर संस्करण 1.5 के कार्यान्वित किए जाने के बाद ईडीआई पत्तनों के लिए आयात तथा निर्यात के ट्रांजेक्शन लेवल डाटा आईसगेट से

सीधे प्राप्त होता रहेगा। तथापि प्रत्येक पत्तन के पास पतन स्तर पर सृजित किया जा रहा ट्रांजेक्शन लेवल डाटा तक कोई पहुंच नहीं है। परिणामस्वरूप प्रत्येक पत्तन उन्नत सिस्टम में लुप्त तारीखों का न तो आंकड़ा प्रदान कर सकता है और डाटा सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान डीजीसीआईएंडएस द्वारा उठाए गए सवालों पर कोई स्पष्टीकरण ही दे सकता है। पत्तनों पर डीजीसीआईएंडएस के मुम्बई, चैन्नई और कोचीन में पद असंगत हो गए है। हम महसूस करते है कि यह उचित होगा यदि इन पदों को डीजीसीआईएंडएस मुख्यालय कोलकाता में स्थानांतरित भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी तथा डाटा प्रोसेसिंग के अनुभव वाले आईएसएस अधिकारियों द्वारा भरा जाए । जो कार्य पहले पत्तन अधिकारियों द्वारा लिया गया था अब कोलकाता में मुख्यालय द्वारा ले लिया जाएगा। इस आशय का प्रस्ताव डीजीएफटी/ वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा रहा है।

- ईडीआई पत्तनों में धीरे- धीरे बदलने के लिए 117 पत्तनों की सूची सीबीईसी में डीजी (सिस्टम) को प्रदान की गई। डीजीआईएंडएस ने गैर- ईडीआई मोड में डाटा प्रदान करने के लिए अनेक मैनुअल पत्तनों को शामिल किया । गैर-ईडीआई फोल्ड के अंतर्गत आने वाले अधिकतर मैनुअल पत्तनों की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।
- डीडब्ल्यूबीआई आदि पर सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए गहरी जांच अपेक्षित होगी और वृहत वित्तीय निहितार्थ होंगे। तथापि हमारे मुख्य व्यापार भागीदारों के साथ डाटा समाधान की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।
- 90 दिनों के भीतर 8 डिजिट लेवल व्यापार डाटा की प्रोसेसिंग और उपलब्धता में समय अंतराल को कम करने के लिए डीजीसीआईएंडएस समेकित प्रयास कर रहा है। सितम्बर 2012 के लिए प्रधान वस्तुवार डाटा को एक महीने के अंदर 29.10.2012 को जारी कर दिए गए हैं। अगस्त के लिए 8-डिजिट लेवल डाटा 15 नवंबर 2012 से पहले जारी कर दिए जाएंगे।
- डीजी/ एडीजी सिस्टम के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही है। तथापि ऐसी कोई औपचारिक व्यवस्थाए नहीं है। इस व्यवस्था को संस्थागत बनाने का हमारे प्रस्ताव पर डीजी सिस्टम ने पहले सहमति नहीं दी थी। हम डीजीएफटी/ वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से एक स्थायी तंत्र तैयार करने के लिए हमने सीबीईसी के साथ मामला उठाने का प्रस्ताव किया है।

5.7 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने डाटा गुणवत्ता सुधारने में सीएसओ (ईएसडी) और डीजीसीआईएंड एस द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रयासों की सराहना की।

संबंधित मंत्रालयों द्वारा सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए प्रस्ताव

5.8 मंत्रालयों/विभागों द्वारा सर्वेक्षण किए जाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के साथ परामर्श से दिशा-निर्देश जारी किए जो 5.12.2011 की गजट अधिसूचना सं. 232 के माध्यम से भारत के राजपत्र -असाधारण, भाग-।।।, खंड-4 में प्रकाशित किए गए । इन दिशा-निर्देशों का प्रयोजन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ डाटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

5.9 उपरोक्त दिशा निर्देशों के आलोक में सर्वेक्षण करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएसई) मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय से एनएसएसओ (सीपीडी) से प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इन प्रस्तावों पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अपनी 49वीं बैठक में विचार विमर्श किया । उसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने विशिष्ट सिफारिश की जो निम्न पैराग्राफों में दी गई हैं।

5.10 एमएसएमई सैक्टर पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण करने पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय के जो 24 फरवरी 2012 के पत्र सं. 19(1)/2011-एसएंडडी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इच्छा जाहिर की है कि मंत्रालय और ब्यौरा प्रस्तुत करे जैसे सर्वेक्षण का उद्देश्य, मापे जाने वाले परिमापों का ब्यौरा, आंकड़ों का स्त्रोत, आंकड़े एकत्रित करने की विधि प्रयोग किए जाने वाले सांख्यिकीय नियम, संदर्भ अवधि, आंकड़े एकत्रित करते समय जिन से परामर्श किया गया है, उस व्यापार रिकार्डों की प्रकृति, आंकड़े एकत्रित करने की प्रस्तावित अवधि एनएसएसओ के सर्वेक्षण करने की स्थिति में न होने पर विकल्प, और एकत्रित किए जाने वाले प्रस्तावित आंकड़ों का अन्य सांख्यिकीय उपयोग यदि कोई है, ताकि प्रस्ताव को बेहतर समझा जाना सुगम हो सके। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि अनावश्यक डुप्लीकेशन को रोकने के संदर्भ में सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम -2011 के अंतर्गत अधिसूचित नोडल कार्यालयर एमएसएमई द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों की जांच करे और वह इस सलाह को लिखित में दे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग इन दोनों इन्पुट्स के आधार पर मामले पर पुन: विचार करेगा।

5.11 संविदा श्रम पर श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के प्रस्ताव को नोट करते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यह सिफारिश की कि कार्य प्रणाली तैयार करने (प्रतिदर्श प्रतिचयन सहित) आवश्यकतानुसार पायलेट परीक्षण कराने और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की छ: महीने के भीतर प्रस्तुत करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक कार्यकारी समूह गठित किया जाए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा सुझाए गए

कार्यकारी समूह के गठन में - (i) प्रो. टी एस पपोला, अध्यक्ष (ii). प्रो. अरीजीत चौधरी- सदस्य (iii) डा. शरत भौमिक - सदस्य और (iv) श्री जी सी मन्ना, डीडीजी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय- सदस्य सचिव। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने ये भी इच्छा व्यक्त की है कि कार्यकारी समूह में संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाए और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से एक विशेषज्ञ को और अन्य विशेषज्ञों को जैसे अनिवार्य हो, शामिल करें। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यह भी इच्छा करती है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2011, के तहत अधिसूचित नोडल कार्यालयर द्वारा विचार किए जाने के लिए एकत्रित की गई सांख्यिकीय सूचना और उसके साथ ही अनावश्यक डुप्लीकेशन को रोकने पर अपनी सलाह देने के लिए अन्य सामग्री सहित ब्यौरा प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि ब्यौरा और नोडल अधिकारी की सलाह को कार्यकारी समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग चाहती है कि कार्यकारी समूह की रिपोर्ट तथा नोडल अधिकारी की सलाह को विचारार्थ इसके समक्ष रखा जाए।

5.12 जनजातीय मामला मंत्रालय ने एनएसएसओ के माध्ययम से अनुसूचित जनजातियों की स्थिति पर स्थिति आंकलन सर्वेक्षण करने के लिए प्रस्ताव किया । यह नोट किया गया कि एनएसएस को 44वीं दौर मुख्यत: तीन जांचों के लिए समर्पित था अर्थात 'जनजातीय जनसंख्या का रहन सहन' 'सामान्य जनता की आवासीय स्थिति' और 'भवन निर्माण गतिविधि' तथा एनएसएस के 72वें दौर (जुलाई 2014- जून 2015) तक एनएसएस में शामिल किए जाने के लिए विषय है, जो पहले से निर्धारित किए गए है। यह भी नोट किया गया है कि 44वें दौर के बाद जनजातियों पर सर्वेक्षण नहीं किया गया है। हालांकि एक विषय के लिए एक दौर समर्पित करना निर्धारित था, यह केवल जून 2015 के बाद हो सकता है। सीएसआई ने सूचित किया है कि जनगणना के परिणाम और जाति गणना उस समय उपलब्ध हो सकती थी और जनजातीय मामला मंत्रालय का अधिकांश डाटा इन स्त्रोतों से पूरा किया जा सकता था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यह इच्छा की है कि जनजातीय मामला मंत्रालय इन तथ्यों के आलोक में अपने प्रस्ताव की पुन: जांच करे तथा एक विस्तृत प्रसतुतीकरण प्रस्तुत करें। तदनुसार सचिव, जनजातीय मामला मंत्रालय तथा इसी मंत्रालय के अन्य अधिकारियों की टीम ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 52वीं बैठक में एक प्रस्तुतीकरण किया और जनजातियों के संबंध में आंकड़ों की अपेक्षाएं जनगणना तथा जाति गणना से प्राप्त हो सकते थे, की सूची तैयार की। यह सूचित किया गया कि जनगणनाओं के बारे में जनगणनाओं के परिणाम दिसम्बर, 2012 तक उपलब्ध होंगे और सभी परिणामों के 2013 तक प्राप्त होने की संभावना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग इच्छा करती है कि जनजातीय

मामला मंत्रालय जनगणनाओं सर्वेक्षण जैसा एनएसएसओ के ओआरजीआई और स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य प्रशासनिक स्त्रोतों से प्राप्त आंकड़ों की जांच करें तथा जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से अपनी अपेक्षा के बारे में अनुमान तैयार करें। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विभिन्न आयामों के संदर्भ में जनजातियों के संबंध में डाटा अपेक्षाओं का ब्यौरा तैयार करने के लिए जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा एक समूह का गठन किया जाए। 44वें एनएसएस दौर की तुलता में अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए डाटा अंतराल को पूरा करने के लिए बाद में एक सर्वेक्षण की योजना बनाई जा सकती है।

5.13 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग चाहती है कि एनएसएसओ (सीपीडी) द्वारा उपर्युक्त सिफारिशें संबंधित मंत्रालयों और नोडल अधिकारी को संप्रेषित की जाए।

मीडिया में आलोचना

5.14 अगस्त 2011 में हुई राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 43वीं बैठक में एनएसओ द्वारा दिए जा रहे आधिकारिक सांख्यिकी की गुणवत्ता पर मीडिया में की जा रही आलोचना चर्चा का विषय बनी। ऐसा महसूस किया गया था कि अधिकांश मामलों में आलोचना इसलिए होती है कि जो आंकड़े जिस प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने होते हैं, वे उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किए जाते । इस बैठक में सीएसआई तथा सीएसओ एवं एनएसएसओ के महानिदेशकों के साथ चर्चा के बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सुझाव दिया कि दस्तावेजों डाटा में सुधार की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यह भी सिफारिश की कि विभाग की सांख्यिकी उत्पादनों के संबंध में पब्लिक डोमेन के साथ बातचीत करने के लिए व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है और उत्पादों के लिए एक आधिकारिक प्रवक्ता को भी अधिसूचित किया जाना चाहिए ताकि डाटा के बारे में मीडिया व्यक्तियों सहित उपभोक्ताओं को स्पष्टीकरण दिया जा सके। मामले पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 54वीं बैठक में पुन: विचार किया गया। इस बैठक में सीएसआई ने सूचित किया कि क्रमश: सीएसओ तथा एनएसएसओ के लिए अपर महानिदेशक, सीएसओ (एनएडी) तथा डीडीजी, एनएसएसओ (सीपीडी) को आधिकारिक प्रवक्ताओं के रूप में अधिसूचित किया गया है।

पीएफसीई और सीईएस अनुमानों में अंतर

5.15 एनएसएसओ उपभोक्ता व्यय अनुमान (सीईएस) और निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) जो राष्ट्रीय लेखा में समेकित किए गए हैं सांख्यिकी में अंतर के मामले की विगत में डा. सविता शर्मा की अध्यक्षता में समिति द्वारा जांच की गई है। संबंधित डाटा सैटों की गुणता में सुधार लाने के लिए एनएसएसओ और सीएसओ (एनएडी) द्वारा तब से

प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अपनी 54वीं तथा 55वीं बैठक में मामले पर पुन: विचार किया गया । यह निर्णय लिया गया कि डा. सविता शर्मा समिति की रिपोर्ट को दोनों स्रोतों से प्राप्त नए डाटा के बीच तुलना करके अद्यतन किया जाए । एनएसएसओ के मामले में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यह इच्छा की है कि 66वां दौर एनएसएस उपभोक्ता व्यय डाटा को इस समिति प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाए और एनएसएसओ मामलों पर स्थायी समिति के मतों पर विचार भी किया जाए जैसा कि एनएसएस में आवश्यक कार्यशालाओं व्यवस्था के संबंध में जांच कर रही है। सीएसओ (एनएडी) ने सूचित किया है कि सविता समिति रिपोर्ट को अद्यतन कर दिया गया है और इसे एक एजेन्डा पेपर के रूप में सीएसआई की अध्यक्षता में 19 अप्रैल 2012 को हुई और प्रो. के सुन्दर की अध्यक्षता में 5 सितम्बर 2012 को हुई बैठक में परिचालित कर दिया था। एनएसएसओ की टिप्पणियों को रिपोर्ट में शामिल कर दिया गया है।

मूल्य सूचकांक तथा कार्यप्रणाली संबंधी भिन्नताएं

5.16 केंद्र में विभिन्न आधिकारिक एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे अनेक उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के मद्देनजर उपभोक्ताओं के फायदे के लिए एक ही स्थान पर संगत ब्यौरा प्रदान करने की आवश्यकता थी।

सांख्यिकीय श्रम शक्ति का प्रशिक्षण

5.17 प्रशिक्षण क्षमता विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है जिससे डाटा की गुणता में सुधार लाने के लिए अनंत रूप से सहयोग करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सांख्यिकीय अधिकारियों और स्टाफ के प्रशिक्षण जो एनएसएस द्वारा आयोजित किया जाता है, की समीक्षा करता है और यह पहचान करता है कि नासा पर फीडबैंक तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

साख्यिकीय मैनुअल

5.18 सभी आधिकारिक एजेन्सियों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए सांख्यिकीय संकल्पना, परिभाषाओं और वर्गीकरणों पर मानक तैयार किया जाना आवश्यक है। यदि एजेन्सियां एक समान मानकों का अनुपालन करती है तो इससे आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली के एकीकृत विकास के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। वर्तमान में भिन्न - भिन्न विषयों पर

सांख्यिकीय मैनुअलों के जारी किए जाने के माध्यम से मानक उपलब्ध कराए जाने की प्रथा है। सीएसओ (एसएसडी) काफी समय से भिन्न - भिन्न विषयों पर मैनुअल तैयार करने का कार्य संभाल रहा है। तथापि सीएसओ द्वारा 24 मई, 2011 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यह कार्य भविष्य में सीएसओ में प्रशिक्षण विभाग को दिया जाए क्योंकि प्रशिक्षण सामग्री/ प्रशिक्षण माड्यूल और किसी विशेष विषय पर मैनुअल तैयार करना अंत: संबंधित मामले हैं। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीएसओ (एसएसडी) इसे जारी रखेगा और प्रक्रियाधीन मैनुअल तैयार करने का कार्य पूरा करेगा जबकि प्रशिक्षण प्रारंभिक चरण पर चल रहे मैनुअलों और उन विशेष संकेतकों/ विषयों जिन पर भारतीय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना (आईएसएसपी) पर ध्यान केंद्रित किया गया है, से संबंधित कार्यों को करेगा।

5.19 यह सूचित किया गया था कि एसएसडी ने भिन्न- भिन्न विषयों पर पन्द्रह मैनुअल तैयार करने का कार्य पूरा किया और अन्य दो विषयों पर मैनुअलों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है।

5.20 सीएसओ प्रशिक्षण प्रभाग में दो समितियां गठित की है नामत: (i) सीएसआई की अध्यक्षता में संचालन समिति (ii) मैनुअल तैयार करने के कार्य की जांच करने के लिए डीजी, सीएसओ की अध्यक्षता में एक समिति । 5 जुलाई, 2012 को हुई संचालन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर प्रशिक्षण प्रचालन ने चार विषयों पर मैनुअल तैयार करने के लिए कार्य प्रारंभ किया। इस बैठक में संचालन समिति ने मैनुअल के सामान्य ढांचे पर भी निर्णय लिया ।

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

5.21 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने उपर्युक्त मामलों पर निम्नलिखित सिफारिशें की ।

1. डा. बर्मन की आईआईपी तथा व्यापार आंकड़ों पर रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर सीएसओ (ईएसडी) तथा डीजीसीआईएंडएस शीघ्र कार्रवाई करे।

   (कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, वाणिज्य विभाग)

2. आईआईपी के संबंध में सीएसओ आईआईपी में मौसमी मदों (उदाहरणत: चीनी) के लिए मासिक भार देने की संभावनाओं की तलाश करे और आईआईपी पर कार्यकारी समूह के समक्ष मामले को उजागर करे।

   (कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई क्षेत्र पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण करने पर आगे के इनपुट्स राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे जैसा पैरा 5.10 में दिया गया है।

(कार्रवाई : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय)

4. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संविदा श्रम पर प्रस्ताव के संबंध में मंत्रालय आगे कार्रवाई कर सकती है जैसे पैरा- 5.11 में दिया गया है और कार्यकारी समूह की रिपोर्ट तथा नोडल अधिकारी की सलाह राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के समक्ष उसके विचारार्थ रखे।

(कार्रवाई : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)

5. जनजातीय मामला मंत्रालय एक समूह का गठन करे जैसा पैरा 5.12 में दिया गया है और इसकी रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे।

(कार्रवाई : जनजातीय मामला मंत्रालय)

6. पब्लिक डोमेन पर बातचीत में सुधार लाने के उद्देश्य से अपर महानिदेशक, सीएसओ (एनएडी) और डीडीजी, एनएसएसओ (सीपीडी) को क्रमश: सीएसओ और एनएसएसओ के लिए आधिकारिक प्रवक्ताओं के रूप में अधिसूचित करते हुए आदेश जारी करे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा देखे जाने वाले मामलों के संबंध में डीडीजी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सचिवालय को प्रवक्ता के रूप में अधिसूचित करें।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

7. पीएफसीई तथा सीईएस अनुमानों के बीच अंतर के मामले पर सीएसओ (एनएडी) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के विचारार्थ और पब्लिक डोमेन में रखे जाने के लिए अद्यतन दस्तावेज प्रस्तुत करे।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

8. सीएसओ अन्य बातों के साथ- साथ कार्य प्रणाली संबंधी ब्यौरा, दृष्टिकोण में भिन्नता और प्रयोजन के लिए विधिवत फिटनेस लाने और पब्लिक डोमेन में प्रस्तुत करने के लिए सूचकांकों से उभरने वाले मुद्रास्फीति दरों में भिन्नता को दर्शाते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर एक नोट तैयार करे।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

9. नासा में फीडबैक तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से

(क) नासा द्वारा प्रशिक्षार्थियों को दिए गए प्रशिक्षण को अधिक उपयोगी बनाने के बारे में सभी प्रशिक्षार्थियों से फीडबैक प्राप्त किए जाए।

(ख) आईएसएस अधिकारी जिन्होंने परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के बाद एक वर्ष की सर्विस पूरी कर ली है उनसे कहा जाए कि आगे सुधार करने के लिए सुझावों पर तथा उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण में महंगाई कार्यों में उपयोगिता के बारे में फीडबैक दें: और

(ग) नासा के एक निर्धारित अधिकारी उपर्युक्त बताए गए अनुसार फीडबैक एकत्रित करे और सीएआई को प्रस्तुत करने के लिए एक समेकित रिपोर्ट तैयार करे।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

10. सांख्यिकीय मैनुअलों की तैयारी तथा उसे जारी करने का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। मैनुअल राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के समक्ष समीक्षा हेतु रखे जाएं।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

अध्याय-6

कार्यान्वयन के लिए मुद्दे

पृष्ठभूमि

6.1 सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार करने के लिए अनेक समितियों तथा आयोगों ने विगत में कई सिफारिशें की है। उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना एक चिन्ता का विषय है। भारत के प्रधान सांख्यिकीयविद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) को केंद्र तथा राज्यों में कार्यान्वयन प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए एक मुख्य तंत्र के रूप में विभिन्न विभागों द्वारा पूरा समर्थन दिया जाना प्रत्याशित है। परंतु इस तंत्र को अभी तक पूरा आकार नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इस संबंध में अभी तक की गई प्रगति की समीक्षा की जिसका ब्यौरा इस अध्याय में दिया गया है।

रंगाराजन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

6.2 डा. सी रंगाराजन की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने 2000 में सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सांख्यिकी प्रणाली को पुर्नगठित करने के लिए 623 सिफारिशें की। मंत्रिमंडल की 27 फरवरी, 2002 को हुई बैठक में सिफारिशों पर विचार किया गया। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों द्वारा कार्यान्वयन की प्रक्रिया को समन्वित तथा मॉनीटर करने का कार्य सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सौंपा गया। तदुपरांत आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक स्पष्ट आदेश के साथ सचिव सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में 2 जनवरी, 2003 को एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई। समिति ने लगभग एक या दो वर्षों के लिए कार्य किया उसके बाद यह निष्क्रिय हो गई।

6.3 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 12 जुलाई, 2006 को अस्तित्व में आई और इसके कार्य को कार्यान्वित की जाने वाली सिफारिशों की सूची में जोड़ दिया गया । इस स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने 8 जून, 2010 को रंगाराजन आयोग और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए इसके एक सदस्य की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की । प्रो. सुदीप्तो मंडल, सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूरे कार्य काल तक समिति के अध्यक्ष रहे। सीएसओ (सीएपी)

तब से ही सभी 623 सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को समन्वित करते रहे हैं। 11 जून 2010 को हुई इसकी 11वीं बैठक में मंडल समिति ने 47 सिफारिशों को प्राथमिकता पर किए जाने के लिए चुना।

6.4 जब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अपनी 52वीं बैठक में स्थिति की समीक्षा की गई, तब सीएसओ (सीएपी) ने सूचित किया कि कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की यह देखने के लिए जांच की गई कि क्या कोई कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करने तथा रंगाराजन आयोग द्वारा की गई 623 सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एमवीएस रंगनाधम, डीडीजी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सचिवालय की अध्यक्षता में 21.9.2012 को सीएसआई ने एक समीति का गठन किया ।

6.5 रंजनाधाम समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया ओर सीएसआई को अपनी अंतिम रिपोर्ट 6 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत की। समिति ने पाया कि 147 सिफारिशें कार्यान्वित की गई है, 9 सिफारिशें व्यवहार्य न होने के कारण रद्द कर दी गई है, 261 सिफारिशों के संबंध में कार्यान्वयन प्रगति पर है और 206 सिफारिशों के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति अभी तक तय नहीं की गई है। समिति के निष्कर्षों का सार निम्नानुसार है:

रंगाराजन समिति रिपोर्ट में अध्याय	सिफारिशों की संख्या				
	कुल	कार्यान्वित की गई	रद्द की गई	कार्यान्वन प्रगति पर	स्थिति ज्ञात नहीं
कृषि संबंधी सांख्यिकी	73	21	2	36	14
औद्योगिक सांख्यिकी	67	8	4	40	15
व्यवसायिक साख्यिकी	19	10	-	9	-
सेवा क्षेत्र सांख्यिकी	14	1	-	9	4
अवसंरचना संबंधी सांख्यिकी	39	3	-	17	19
सामाजिक आर्थिक सांख्यिकी	139	9	2	31	97
वित्तीय एवं बाह्य क्षेत्र सांख्यिकी	83	14	1	16	52

मूल्य सांख्यिकी	15	7	-	7	1
कार्पोरेट क्षेत्र सांख्यिकी	11	4	-	7	-
राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी	41	9	-	28	4
भारतीय सांख्यिकी प्रणाली	122	61	-	61	-
कुल	**623**	**147**	**9**	**261**	**206**

6.6 मंडल समीति द्वारा प्राथमिकता पर की जाने वाली 47 सिफारिशों के संबंध में रंगानाधम समीति द्वारा यह सूचित किया गया कि 20 सिफारिशें कार्यान्वित की गई है और 25 सिफारिशें कार्यान्वित किए जाने की प्रक्रिया में है, और शेष दो के संबंध में स्थिति ज्ञात नहीं है।

6.7 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी 56वीं तथा 57वीं बैठकों में रंगानाधाम समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की और समिति द्वारा कम समयावधि में किए गए कार्य की सरहाना की। आगे सूचित किया गया कि रंगानाधम समिति की निम्नलिखित सिफारिशों को सीएसआई द्वारा अनुमोदित किया गया।

(i) जिन सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है, उनके मामले में आगे कोई कार्रवाई की जानी आवश्यक नहीं है; और

(ii) जो प्रगति पर है उनके मामले में संबंधित कार्यालयों/ प्रभागों से सीएसओ (सीएपी) द्वारा अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट प्राप्त की जाए। पहली रिपोर्ट 15 जनवरी, 2013 तक उसमें 31 दिसम्बर, 2012 तक की स्थिति प्रस्तुत की जाए।

6.8 महानिदेशक, सीएसओ के पद को भरने, जिस पर कार्रवाई दिखाई जा रही है, की सिफारिश के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने नोट किया कि बताई गई स्थिति सत्य है, जैसाकि रंगाराजन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद कम से कम एक बार पद को भरा गया था परंतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में महानिदेशक, सीएसओ सहित कुछ उच्च स्तरीय पद बाद में रिक्त हो गए। जब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा इसकी समीक्षा की गई तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कुछ उच्च स्तरीय रिक्तियां हो गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यह महसूस किया कि मुख्य पदों पर रिक्तियां, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्यों पर विपरीत प्रभाव डालेगी।

6.9 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने नोट किया है कि व्यवसाय संबंधी सांख्यिकी के संबंध में कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सीबीईसी के आंकड़ों की जांच करने की डीजीसीआईएंडएस आवश्यकता महसूस करती है कि प्रो. सुदीप्तो मंडल, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने बताया कि राजस्व सचिव के साथ हुई उनकी एक बैठक में उन्होंने यह समझा कि राजस्व सचिव द्वारा सीएसआई के परामर्श से संबंधित संगठन के साथ एक बैठक की जाएगी।

बचतों और निवेश के अनुमान पर रंगाराजन समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

6.10 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के उदाहरण पर सरकार ने डा. सी रंगाराजन की अध्यक्षता में बचतों तथा निवेश पर अनुमानों पर एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्ति की। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 16 मार्च 2009 को प्रस्तुत की। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने जनवरी 2010 को हुई अपनी 29वीं बैठक में उच्च स्तरीय बैठक की सिफारिशों को नोट किया और अपर महानिदेशक, सीएसओ (एनएडी) द्वारा प्रस्तावित की गई अनुवर्ती कार्रवाई को नोट किया। यह निर्णय लिया गया कि एनएसएसओ घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से बचतों तथा निवेश के अनुमान पर एक पायलट सर्वेक्षण करेगा, जैसा समिति द्वारा सिफारिश की गई थी । पायलट अध्धयन के लिए कार्यप्रणाली के संबंध में ब्यौरा तैयार करने के लिए श्री सुमन के बैरी, सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया । अन्य सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की कि सीएसओ (एनएडी) कार्यान्वयन के लिए अन्य पहचान की गई एजेन्सियों के साथ समन्वय करे ।

6.11 उपर्युक्त विशेष समूह द्वारा की गई प्रगति की राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अपनी 50वीं तथा 55वीं बैठकों में समीक्षा की गई। इस बैठक में यह नोट किया गया कि उपर्युक्त विशेषज्ञ समूह और डा. एस एल शेट्टी की अध्यक्षता में इसके उप समूह कार्य कर रहा है और प्रस्तावित पायलेट अध्ययन के लिए उप समूह द्वारा विकसित किया गया डाटा कलेक्शन समय सारणी फील्ड में पूर्व परीक्षण हेतु बकाया है। उच्च स्तरीय समिति की शेष सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सीएसओ (एनएडी) ने अपनी बैठक में सूचित किया था कि संबंधित एजेन्सियों से अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।

6.12 जब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा अपनी 57वीं बैठक में प्रगति की समीक्षा की गई थी, यह सूचित किया गया कि प्रस्तावित पायलेट सर्वेक्षण किए जाने के लिए इनक्वारी की समय सारणी, दिसम्बर 2012 में उपसमूह द्वारा तैयार की जाएगी और उसके बाद उपसमूह इसकी रिपोर्ट विशेषज्ञ समूह को प्रस्तुत करेगा चूंकि विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष श्री सुमन के. बैरी का कार्यकाल 23 दिसम्बर, 2012 को पूरा हो जाएगा, यह निर्णय लिया गया कि विशेषज्ञ समूह डा. एस एल शेट्टी की अध्यक्षता में कार्य जारी रखेगा। इस बैठक में यह भी

नोट किया गया कि विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एनएसएसओ द्वारा पायलेट सर्वेक्षण किया जाएगा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की वार्षिक रिपोर्टों पर की कार्रवाई रिपोर्ट

6.13 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग संसद के प्रति जिम्मेदार है। किस तरीके से यह जिम्मेदारी निभाई जानी है, वह 1 जून 2005 के भारत के संकल्प में दिया गया है। संकल्प का संगत सार नीचे दिया गया है।

> '' आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें इसके वित्तीय वर्ष में हुई गतिविधियों का लेखा दिया जाएगा और इसे केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा। केंद्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट तथा उसमें दी गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ तथा किसी भी सिफारिशा को स्वीकार न किए जाने के कारण के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगी। जहां कोई सिफारिश अथवा उसका कोई भाग किसी राज्य सरकार से संबंध रखता है, आयोग उस सिफारिश अथवा उसका कोई भाग उस राज्य सरकारों को भेजेगी, जो राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन तथा इन सिफारिशों में से किसी एक कारणों के साथ राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगी।''

6.14 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार को 2006-2007 से 2011-12 तक के वित्तीय वर्षों के लिए छः वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 31 मार्च, 2013 तक सरकार ने की गई कार्रवाई (एटीएन) के साथ पहली पांच रिपोर्टें सदन के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की। जैसे ही उन्हें संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है, वार्षिक रिपोर्ट और उसकी की गई कार्रवाई रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है ।

6.15 उपर्युक्त रिपोर्टों में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों में शामिल है, केंद्र में भारत के प्रधान सांख्यिकीयविद् की अध्यक्षता में एक पृथक सांख्यिकीय विभाग की स्थापना करना, संसद के एक अधिनियम द्वारा नोडल एडवाइजरी और विनियामक कार्य करने तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान करने में सीएसआई तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को सहायता प्रदान करने के लिए सांख्यिकीय सलाहकार की भूमिका को संस्था का रूप देना। यह भी सूचित किया गया है इन मामलों पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार में कार्यान्वयन के भिन्न- भिन्न स्तरों पर है।

6.16 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को सांविधिक दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर यह सूचित किया गया था कि अन्य बातों के साथ - साथ संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने को प्रस्तावित करने के लिए एक मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी तैयार किया जा रहा है और इस पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रक्रिया जारी है। केंद्र में मंत्रालयों की तर्ज पर सांख्यिकी सलाहकार की भूमिका को संस्थागत बनाने के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को यह सूचित किए जाने के उद्देश्य के साथ इस प्रयोजन के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है।

6.17 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी 51वीं बैठक में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्टों की समीक्षा की और महसूस किया ऐसे कई मामले हैं जहा कार्रवाई अधूरी है अथवा प्रगति के अधीन है। इस मामले पर विशेष उदाहरण दिए गए विशेष तौर पर 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट के लिए की गई कार्रवाई का संदर्भ लिया गया।

सामाजिक क्षेत्र सांख्यिकी पर समिति की की गई कार्रवाई रिपोर्ट

6.18 सामाजिक क्षेत्र सांख्यिकीय से संबंधित कुछ मुद्दों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने एक व्यावसायिक समिति का गठन किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी 45वीं बैठक में समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि रिपोर्ट को एक प्रथम ड्राफ्ट के रूप में माना जाए और इसके आगे सामाजिक क्षेत्र के संबंध में उपलब्धता, आंकड़ों की गुणवत्ता तथा आंकड़ों में अंतर के संबंध में ब्यौरो की जांच की जानी आवश्यक होगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इस बैठक में इच्छा जाहिर की कि कार्य को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा के साथ इस प्रयोजन के लिए सीएसओ द्वारा एक समूह का गठन किया जाए। रिपोर्ट में शामिल किए गए पर्यावरणीय मामलों के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यह निर्णय लिया कि हरित लेखाकरण मामलों पर डा. प्रधा दास गुप्ता की अध्यक्षता में नियुक्त की गई उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के उपलब्ध होने पर ही उसका अवलोकन किया जा सकता है।

6.19 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी 54वीं, 56वीं तथा 57वीं बैठकों में प्रगति की समीक्षा की। सीएसओ (एसएमडी) ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को अपने दिनांक 26.7.2012 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया कि समूह में शामिल करने के लिए विशेषज्ञों के नाम बताए जाए जो सामाजिक क्षेत्र के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों की गुणवता तथा आंकड़ों के अंतर की जांच करेंगे और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यह महसूस किया है कि समूह का गठन करने से पूर्व विशेषज्ञों से विषय कागजात आमंत्रित किए जाए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की कि विषय कागजात निम्नलिखित विशेषज्ञों से आमंत्रित किए जाएं:

1. जनांकिकी - डा. लाडू सिंह, आई आई पी एस, मुम्बई
2. स्वास्थ्य- डा. चारू गुप्ता
3. श्रम एवं रोजगार - प्रो. नागराज, आई जी आई डी आई
4. शिक्षा - एन आई ई पी ऐ के डा. जे.बी.जी तिलक अथवा डा. सुधांशु भूषण
5. लिंग सांख्यिकी में अंतर - डा. मधुरा स्वामीनाथन, आई एस आई, कोलकाता
6. अपराध एवं न्याय सांख्यिकी - डा. अमीर उल्लाह खान, इंडिया डेवेलपमैंट फाउंडेशन, गुड़गांव

6.20 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यह भी सिफारिश की उपर्युक्त प्रत्येक विशेषज्ञ को उनके दस्तावेजों के लिए अधिकतम 25000/- रू. फीस दी जाए। उनको यह भी सूचित किया जाए कि दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद वे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सम्पदा बन जांएगे और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उन दस्तावेजों को जैसे उचित समझेगी, प्रकाशित करवाएगी। उनपर महानिदेशक सीएससी (एसएसडी) द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 57वीं बैठक में यह सूचित किया गया कि थीम पेपर लिखने वाले विशेषज्ञों ने अपना कार्य स्वीकार कर लिया है।

<u>सूचकांक समेकित करने में सामान्य समस्याएं</u>

6.21 सभी आधिकारिक एजेन्सियों द्वारा सूचकांकों को संशोधित करने के लिए आधार वर्ष को पूर्व-विनिर्दिष्ट करने के मामले पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी 2009-10 की वार्षिक रिपोर्ट में सिफारिश की है कि संशोधन के लिए आधार वर्ष को पहले ही विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए (कम से कम दो वर्ष पूर्व) ताकि एजेन्सियां प्रारंभिक गतिविधियों के लिए योजना बना सके, जैसे संसाधन जुटाने के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना और उत्पाद की विशिष्टियों पर प्रस्तावित संशोधित सूची के लिए वस्तुओं की बास्केट का एक मजबूत विकल्प तैयार करने को सुगम बनाने के लिए उत्पाद विशिष्टताओं और मूल्यों/ मात्रा पर अतिरिक्त आंकड़े एकत्रित करना। ऐसी स्थिति में आधार वर्ष के लिए आंकड़े एकत्रित करने का कार्य संबंधित सूचना प्रदाता के न्यूनतम द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यह भी नोट किया कि हांलाकि समय से पूर्व इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया आधार वर्ष बाद में गैर-सामान्य वर्ष में परिवर्तित हो जाता है। अत: अगले वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाना आसान होगा।

6.22 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी 54वीं बैठक में मुद्दे पर पुन: विचार किया । यह नोट किया गया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने विगत में यह सिफारिश की थी कि केंद्र

तथा राज्यों में आधिकारिक एजेन्सियों द्वारा समेकित किए गए राष्ट्रीय लेखों और सूचकांकों के लिए वर्ष 2009-10 और 2014-15 को आधार वर्षों के रूप में लिया जाए। उपभोक्ता व्यय पर एनएसएस के पंचवर्षीय दौरों को समान रखने के लिए उन दो वर्षों को विनिर्दिष्ट किया गया। तदुपरांत एनएससी ने निर्णय लिया कि उपभोक्ता व्यय पर एनएसएस का 66वें पंचवर्षीय दौर को 68वें दौर में 66वें सर्वेक्षण अवधि के रूप में दोहराया जाए अर्थात 2009-10 को एक गैर-सामान्य वर्ष के रूप में समझा जाए। अत: यह एजेन्सियों के लिए उचित होगा कि उपभोक्ता सूचकांकों के लिए 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में चुना जाए। तथापि यह नोट किया गया कि राष्ट्रीय लेखों को 2009-10 के आधार वर्ष के साथ संशोधित किया गया। यह भी नोट किया गया कि 72वें दौर (जुलाई 2014-जून 2015) के लिए जोड़े जाने वाले विषयों को वास्तव में उपभोक्ता व्यय पर पंचवर्षीय सर्वेक्षण को समर्पित किया गया था, उनकी समीक्षा की आवश्यकता है।

कृषि संबंधी सांख्यिकी पर वैद्यनाथन समिति

6.23 दिनांक 27.8.2008 को हुई इसकी 20वीं बैठक में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सिफारिश की कि कृषि संबंधी सांख्यिकी से संबंधित मुद्दों की विस्तृत जांच करने के लिए डा. ए वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। तदनुसार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 26 फरवरी 2009 को एक समिति गठित की गई। समिति ने जुलाई 2010 को एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी 36 बैठक अगस्त, 2010 में हुई। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने समिति की अंतरिम रिपोर्ट पर विचार किया और निम्नलिखित सिफारिशें की। (वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा सूचित किया गया)

1. अंतरिम रिपोर्ट को विशेषज्ञों, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, एनएसएसओ एनसीएपी, एनआरएसए, आईएसआई, आई सी एस एस आर संस्थानों, एग्रो इकॉनामिक्स सैन्टर और आई ए एस आई आई को परिचालित की जाए और उनकी टिप्पणियां प्राप्त की जाएं।
2. प्राप्त अनुभवों के आधार पर कृषि एवं सहकारिता विभाग के कार्यान्वयन के लिए अंतरिम रिपोर्ट पर कार्य करे।
3. राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर उच्च गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता के अनुमान लगाने के लिए प्रभावी तरीके से प्रतिचयन और गैर प्रतिचयन त्रुटियों को नियंत्रित करने के लिए समीति ने एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण करने की सिफारिश की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिदर्श आकार को वैज्ञानिक तरीके से तैयार करना आवश्यक है। यह भी

जांच की जानी आवश्यक है कि क्या देश में सभी एग्रो-क्लाईमेट क्षेत्रों के लिए अनुमान दिए जाने आवश्यक है।

4. कुल अनुमान तैयार करने के लिए अपेक्षित गुणकों का अनुमान लगाने हेतु प्रस्तावित प्रतिदर्श सर्वेक्षण को एक विश्वसनीय फ्रेम की आवश्यकता है। इसमें उपलब्ध राजस्व रिकार्डों से इसकी कमियों को हटाते हुए अथवा एक नई कार्यप्रणाली अपनाते हुए एक फ्रेम तैयार करना शामिल है।

6.24 तत्पश्चात वैद्यनाथन समिति से फरवरी 2011 को कृषि एवं सहकारिता विभाग को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी 54वीं बैठक में कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि ने इस बैठक में इस मुद्दे पर एक स्थिति नोट प्रस्तुत किया और अन्य बातों के साथ यह भी बताया कि वैद्यनाथन समिति की अंतिम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया तय की जा रही है।

कर्नाटक सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक

6.25 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने 5 अक्टूबर 2012 को बैंगलोर में कर्नाटक सरकार के प्रधान सचिव तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। डीईएस, कर्नाटक सरकार के अधिकारियों ने बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर एक पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण तैयार की।

(1) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट में राज्य सांख्यिकीय पद्धति पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

(2) भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना (आईएसएमपी) के अंतर्गत कर्नाटक द्वारा की गई प्रगति

(3) आईएसएसपी द्वारा जिन क्षेत्रों की सांख्यिकीय व्याख्या नहीं की गई है उसके अवसंरचनात्मक अंतर को भरने के लिए 13वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कनार्टक द्वारा की गई प्रगति

<u>राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशें</u>

6.26 उपर्युक्त मुद्दों पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सिफारिशें नीचे दी गई हैं-

(1) रंगाराजन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में कार्रवाई का क्रम पैरा 6.7 में उल्लिखित हे जिसका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने समर्थन किया ।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

(2) सीएसओ और एनएसएसओ में मुख्य पदों पर रिक्तियों के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की है कि रिक्तियों को भरने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाए। इस समय तक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मुख्य संरचनाओं में अंतरिम प्रभारी व्यवस्था करे।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

(3) सीबीईसी के आंकड़ों पर डीजीसीआई एंड एस तक पहुंच प्रदान करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संबंधित संगठनों के साथ बैठक करने के लिए राजस्व सचिव के साथ मामले को आगे बढ़ाएं।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

(4) घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से बचत एवं निवेश पर अनुमान पर एक प्रायोगिक सर्वेक्षण आयोजित करने से संबंधित सभी कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

(5) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्टों पर सभी एटीआर में नवीनतम अद्यतन स्थिति को दर्शाते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अद्यतित की जाए और इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएं।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

(6) पैरा 6.19 में उल्लिखित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों से प्राप्त थीम पेपर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

(7) राष्ट्रीय लेखों तथा सभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने वाली एजेन्सियों द्वारा भविष्य में आधार के संशोधन को उस वर्ष के साथ संरेखित करे जिसके लिए उपभोक्ता व्यय पर पंचवर्षीय एनएसएस दौर किया जाएगा। अन्य सूचकांक जैसे डब्ल्यूपीआई और आईआईपी तैयार करने वाली एजेन्सियों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति वांछनीय है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तदनुसार सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा निर्देश अधिसूचित करे।

(कार्रवाई : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

(8) वैद्यनाथन समिति की अंतिम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाए।

(कार्रवाई : कृषि एवं सहकारिता विभाग)

(9) कर्नाटक सरकार निम्नलिखित तर्जों पर कर्नाटक सांख्यिकी प्रणाली को सुधारने के लिए उपाय करें।

(क) सांख्यिकी कार्यों से योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन का वर्णन करना

(ख) बाह्य स्त्रोंतों के माध्यम से सांख्यिकीय लेखा परीक्षा करवाया जाना

(ग) उपराज्य स्तर पर अनुमान प्राप्त करने के लिए एनएसएस के राज्य केंद्रीय तथा राज्य प्रतिदर्शों की पूलिंग

(घ) एक समन्वयक समिति का गठन किया जाना जिससे राज्य के सभी संबंधित विभागों डीईएस और एनएसएसओ के स्थानीय अधिकारियों ने सभी सांख्यिकीय मामलों को संभालने के लिए प्रतिनिधित्व किया।

(कार्रवाई : कर्नाटक सरकार)